



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 80] प्रयागराज, शनिवार, 21 मार्च 2026 ई० (फाल्गुन 30, 1947 शक संवत्) [संख्या 12

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1— विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	123—132	3075	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 1—क— नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	...	1500	भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट क—भारतीय संसद के ऐक्ट	...	975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975	भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	...	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	35—54	975	भाग 8—नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दवाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	631-666	975
भाग 4— निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	...	975	स्टोर्स—पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

पशुधन विभाग

अनुभाग-1

27 मार्च, 2024 ई0

सं0 989/37-1-2023-2(23)/2018—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा पशु चिकित्साधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को चरित्र सत्यापन एवं मण्डलीय चिकित्सा परिषद के स्वास्थ्य परीक्षण में स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त श्री राज्यपाल श्री अंकित वर्मा पुत्र श्री सतीश कुमार वर्मा उज्जर गूम, उदयपुर महेवा, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश-262701 को उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा सेवा श्रेणी-2 के अन्तर्गत पे बैंड-3 रु0 15,600—39,100, ग्रेड वेतन रु0 5,400/-, पे मैट्रिक्स-10 में निम्न शर्तों के साथ नियुक्ति प्रदान करते हुए पशुचिकित्सालय, पयागपुर जनपद बहराइच में तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

उक्त अभ्यर्थी पशु चिकित्साधिकारी के पद पर योगदान की तिथि से 2 वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे।

1— इन अभ्यर्थियों की सेवा शर्तें शासन द्वारा समय-समय पर राज्य कर्मचारियों हेतु निर्गत की गई संगत नियमावलियों एवं शासनादेशों के अधीन होंगी।

2— उक्त अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर विभिन्न शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते, जो भी हों, देय होंगे।

3— उत्तर प्रदेश अस्थायी/स्थानापन्न सेवायें अस्थायी सरकारी सेवा (सेवा समाप्ति) नियमावली, 1975 के अन्तर्गत किसी समय सरकारी सेवक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवक को दी गयी नोटिस द्वारा सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

4— सभी अभ्यर्थी अपनी योगदान आख्या अपनी तैनाती के जनपद के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

5— समस्त अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

6— तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

7— उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1)— दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्व से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2)— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(3)— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(4)— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(5)— एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का शपथ-पत्र।

8— इन पशु चिकित्साधिकारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

आज्ञा से,
सत्यवान सिंह,
संयुक्त सचिव।

नागरिक उड्डयन विभाग

विज्ञप्ति

सेवानिवृत्ति

12 फरवरी, 2024 ई०

सं० 46/छप्पन-2024-58/1996—अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री अभिजीत सान्याल, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नागरिक उड्डयन निदेशालय, लखनऊ की जन्म तिथि उनकी सेवा पुस्तिका के अनुसार 09 अगस्त, 1964 (नौ अगस्त उन्नीस सौ चौंसठ) है। इस प्रकार श्री अभिजीत सान्याल वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-दो, भाग-दो से चार के मूल नियम-56 (यथा संशोधित) के अनुसार 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु प्राप्त कर दिनांक 31 अगस्त, 2024 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक,
अनु सचिव।

आबकारी विभाग

अनुभाग-1

07 अक्टूबर, 2024 ई०

सं० 1554/ई-1/तेरह-24-330756/2019—रिट याचिका संख्या 19293/2013 एस०पी० सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30 अप्रैल, 2018 तथा इसके अनुपालन में शासन के आदेश दिनांक 08 अगस्त, 2018 के क्रम में श्री सर्वेश्वर प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त सम्प्रति सेवानिवृत्त के प्रार्थना पत्र दिनांक 25 अगस्त, 2020 पर चयन समिति की संस्तुति के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त श्री सर्वेश्वर प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त सम्प्रति सेवानिवृत्त को उनके कनिष्ठ श्री राज कुमार की पदोन्नति की तिथि दिनांक 01 जनवरी, 2009 से उप आबकारी आयुक्त के पद पर एवं दिनांक 03 सितम्बर, 2012 से संयुक्त आबकारी आयुक्त के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान की जाती है। यह आदेश मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका संख्या 15178/2020 एस०पी० सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित होने वाले आदेश के अधीन होगा।

आज्ञा से,
दिव्य प्रकाश गिरि,
विशेष सचिव।

मत्स्य उत्पादन विभाग

कार्यालय आदेश

20 फरवरी, 2024 ई०

सं० 7/2024/253/सत्रह-म-2024-17-1099-/183/2019—श्री राज्यपाल, संयुक्त निदेशक मत्स्य के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त श्री एन० एस० रहमानी को चयन समिति की संस्तुति के आधार पर निदेशक मत्स्य, वेतनमान रु० 37,400—67,000, ग्रेड पे 8,700 (पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-13) के पद पर प्रोन्नत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— श्री एन0 एस0 रहमानी की नियमित तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किया जायेगा।

3— यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-20601/2023 गिरीश चन्द्र यादव बनाम् उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

आज्ञा से,
रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव।

प्रशासनिक सुधार विभाग

अनुभाग-1

कार्यालय ज्ञाप

नियुक्ति

24 फरवरी, 2024 ई0

सं0 260/43-1-2024-25(1)/89—उत्तर प्रदेश कार्यालय निरीक्षण सेवा नियमावली, 1990 के नियम-5(1) (क) के अधीन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित तथा नियुक्ति हेतु संस्तुति के आधार पर वेतन बैंड 9,300—34,800, ग्रेड वेतन रु0 4,600/-, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रु0 44,900—1,42,400, लेवल-7 में निम्नलिखित अभ्यर्थियों को निरीक्षक, राजकीय कार्यालय के रिक्त पद पर अस्थाई रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखे जाने तथा 06 सप्ताह के व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए मुख्य निरीक्षक, राजकीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के कार्यालय से सम्बद्ध किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

क्रमांक	नाम
1	2
	(सर्वश्री / श्रीमती)–
1	प्रशान्त श्रीवास्तव
2	जितेन्द्र यादव
3	कुलदीप भारद्वाज
4	प्रदीप कुमार सिंह
5	बृजेश कुमार शर्मा
6	अश्वनी कनौजिया
7	राम मिलन
8	ओमेन्द्र जीत पाल
9	मधुरानी

(1)– नियुक्त किये गये उक्त निरीक्षकों को उत्तर प्रदेश कार्यालय निरीक्षण सेवा के कर्मचारियों की भांति समय-समय पर अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अनुसांगिक भत्ते निर्धारित दरों के अनुसार देय होंगे।

(2)– नियुक्त किये गये उक्त निरीक्षकों को निर्देशित किया जाता है कि वह 01 माह के अन्दर मुख्य निरीक्षक, राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय, प्रयागराज में कार्यभार ग्रहण कर लें, यदि निर्धारित अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो समझा जायेगा कि वह उक्त पद पर नियुक्ति के इच्छुक नहीं हैं और उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(3)– नियुक्त किये गये उक्त निरीक्षकों को कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

(4)– नियुक्त किये गये 09 अभ्यर्थियों में से क्रमांक 1, 3 व 4 पर उल्लिखित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र उनके स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट की प्रत्याशा में औपबन्धिक होगा।

(5)– नियुक्त किये गये उक्त निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाण-पत्रों के सत्यापन में यदि कोई विसंगति पायी जाती है तो अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे एवं इनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

उक्त नवनियुक्त निरीक्षकों की पारस्परिक ज्येष्ठता यथा नियम बाद में निर्धारित की जायेगी।

आज्ञा से,
के0 रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव।

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा नि0 प्रो0 विभाग

अनुभाग-1

विज्ञप्ति/सेवानिवृत्ति

15 जनवरी, 2024 ई0

सं0 980/18-1-23-25(68)2003—उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर के पत्र संख्या-1667/3 अ/का0/से0 नि0 पत्रा/2023-24, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुक्रम में राजपत्रित पदों पर कार्यरत निम्नवत् सरकारी सेवकों को उनके द्वारा 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर लेने के उपरान्त वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम 56 (क) के अन्तर्गत उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में अंकित तिथि के अपराह्न से सेवानिवृत्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

श्रेणी-1

क्रमांक	अधिकारी का नाम	पद नाम	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	2	3	4	5
1.	श्री लालजीत सिंह	संयुक्त आयुक्त उद्योग	04.06.1964	30.06.2024

श्रेणी-2

क्रमांक	अधिकारी का नाम	पद नाम	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
---------	----------------	--------	-----------	-------------------

1	2	3	4	5
सर्वश्री—				
1.	मदन कुमार मिश्रा	सहायक आयुक्त उद्योग	30.03.1964	31.03.2024
2.	राजीव कुमार पाठक	सहायक आयुक्त उद्योग	28.01.1964	31.01.2024

2— कृपया उक्तानुसार प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
अरुण प्रकाश,
विशेष सचिव।

सामान्य प्रशासन विभाग

विज्ञप्ति/विविध

02 अप्रैल, 2024 ई0

सं0 I/533175/2024/तीन-2024-39(1)/2002—निगोशिऐबुल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट, 1881 (1881 की एक्ट सं0-26) की धारा-25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों को काम में लाकर, जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या-20/25-56-Pub-1, दिनांक 08 जून 1957 के अनुसार राज्य सरकार काम में ला सकती है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया, अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में निर्दिष्ट तिथि को अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में तत्स्थानीय प्रविष्टि में निर्दिष्ट आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन तथा विधान सभा उप निर्वाचन-2024 से संबंधित जनपद में निर्वाचन के प्रयोजन के लिये सार्वजनिक अवकाश घोषित करती हैं। अनुसूची के तृतीय स्तम्भ निर्दिष्ट आगामी लोक सभा तथा विधान सभा उप निर्वाचन-2024 के क्षेत्र से संबंधित जिले के कोषागार तथा उप कोषागार भी इस इंगित तिथि को बन्द रहेंगे।

अनुसूची

क्र0 सं0	मतदान की तिथि/चरण	जिलों का नाम
1	2	3
01	19 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार)/प्रथम	सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, बरेली।
02	26 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार)/द्वितीय	अमरोहा, हापुड़, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा।
03	07 मई, 2024 (मंगलवार)/तृतीय	मुरादाबाद, सम्भल, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, काशगंज, बदायूँ, बरेली।
04	13 मई, 2024 (सोमवार)/चतुर्थ	शाहजहाँपुर, खीरी, सीतापुर, हरदोई, कानपुर नगर, उन्नाव, एटा, फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कन्नौज, बहराइच। (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 136-ददरौल, जनपद-शाहजहाँपुर)।

1	2	3
05	20 मई, 2024 (सोमवार)/पंचम	लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, कानपुर देहात, जालौन, झॉसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, बाराबंकी, अयोध्या, गोण्डा, बहराइच, बलरामपुर। (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 173-लखनऊ पूर्व, जनपद लखनऊ)।
06	25 मई, 2024 (शनिवार)/षष्ठम	सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संतकबीर नगर, गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी, भदोही। (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 292-गैसड़ी, जनपद बलरामपुर)।
07	01 जून, 2024 (शनिवार)/सप्तम	महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, बलिया, गाजीपुर, चन्दौली, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र। (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 403-दुद्धी (अ0ज0जा0) जनपद-सोनभद्र)।

आज्ञा से,
जितेन्द्र कुमार,
अपर मुख्य-सचिव।

बाल विकास एवं पुष्ठाहार विभाग

विज्ञप्ति/नियुक्ति

20 जून, 2024 ई0

सं0 1169/54-2001(002)/1/2021—बाल विकास एवं पुष्ठाहार विभाग के अन्तर्गत कार्यरत श्री सेराज अहमद, तत्कालीन जिला कार्यक्रम अधिकारी सम्प्रति संयुक्त परियोजना समन्वयक, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उप निदेशक (वेतनमान रु0 67,700—2,08,700, वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष प्रोन्नति प्रदान करते हुये मुख्यालय/निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में उप निदेशक के पद पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है।

आज्ञा से,
अशोक कुमार तिवारी,
संयुक्त सचिव।

गोपन विभाग

अनुभाग-1

अधिसूचना

20 सितम्बर, 2024 ई0

सं0 906/24-पच्चीस-1-6/2/3/2013-सी0एक्स0(1)—माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अतिरिक्त न्यायाधीशगण (1) श्री सैयद कमर हसन रिजवी, (2) श्री मनीष कुमार निगम, (3) श्री अनीश कुमार गुप्ता, (4) सुश्री नन्द प्रभा शुक्ला, (5) श्री क्षितिज शैलेन्द्र, (6) श्री विनोद दिवाकर, (7) श्री प्रशान्त कुमार, (8) श्री मंजीव शुक्ला तथा (9) श्री अरुण कुमार सिंह देशवाल, जिन्हें भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से इलाहाबाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है, द्वारा दिनांक 23 अगस्त, 2024 को पूर्वान्ह में अपने पद का कार्य-भार ग्रहण कर लिया गया है।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव।

उद्यान विभाग**कार्यालय-आदेश**

01 मार्च, 2024 ई0

सं0 377/58-2024-25/2020-1713947—डा0 विजय बहादुर द्विवेदी, संयुक्त निदेशक (शाक-भाजी), उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ को अपर निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, लखनऊ के रिक्त पद पर वेतनमान रु0 1,23,100—2,15,900 पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-13 (ग्रेड पे रु0 8,700) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान करते हुए अपर निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पद पर तैनात किये जाने की माननीया राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2— उक्त आदेश विभिन्न मा0 न्यायालय/मा0 अधिकरण के समक्ष प्रचलित रिट याचिकाओं/निर्देश याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

खाद्य प्रसंस्करण विभाग**कार्यालय-ज्ञाप**

18 जुलाई 2024 ई0

सं0 742/58-2-2014-40/2023—उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अन्तर्गत फल संरक्षण अधिकारी, श्रेणी-2 के 05 पदों हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने हेतु जनवरी, 1992 में विज्ञापन प्रकाशित किया गया, जिसमें आवेदन करने की अन्तिम तिथि दिनांक 07 मार्च, 1992 निर्धारित थी। उक्त पद हेतु अनिवार्य अर्हता बी0एस0सी0/बी0एस0सी0 कृषि के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से फूड/फ्रूट टेक्नोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा थी। दिनांक 19 व 21 मई, 1994, दिनांक 08 सितम्बर, 1994 एवं दिनांक 15 नवम्बर, 1995 को अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया गया। लोक सेवा आयोग द्वारा 05 अभ्यर्थियों को योग्य पाते हुए दिनांक 24 अक्टूबर, 1996 को परीक्षा परिणाम घोषित किया गया एवं तत्क्रम में लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 28 अक्टूबर, 1996 को संस्तुति शासन को उपलब्ध करायी गयी।

2— लोक सेवा आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गई संस्तुति के आधार पर शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4765/अट्टावन-1-96-505/93, दिनांक 09 अप्रैल, 1997 द्वारा 05 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किये गये। उक्त कार्यालय-ज्ञाप में अंकित सूची के क्रमांक 4 पर श्री अवध नारायण त्रिपाठी को फल संरक्षण अधिकारी, आगरा, उत्तर प्रदेश के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी। नियुक्ति आदेश के अनुपालन में श्री त्रिपाठी द्वारा दिनांक 11 अप्रैल, 1997 को कार्य-भार ग्रहण किया गया।

3— श्री अवध नारायण त्रिपाठी के विरुद्ध लोक सेवा आयोग में शिकायतें प्राप्त हुई कि फल संरक्षण अधिकारी पद की शैक्षिक योग्यता फूड/फ्रूट टेक्नोलॉजी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा थी। आवेदन के समय श्री त्रिपाठी शैक्षिक अर्हता पूर्ण नहीं करते थे। दिनांक 17 मार्च, 1998 को श्री त्रिपाठी के डिप्लोमा प्रमाण-पत्र की जाँच हेतु संयुक्त निदेशक, राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान, लखनऊ को लोक सेवा आयोग द्वारा पत्र प्रेषित किया गया। संयुक्त निदेशक, राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान, लखनऊ के पत्र दिनांक 28 अप्रैल, 1998 द्वारा आयोग को यह अवगत कराया गया कि संस्थान के अभिलेखों की जाँचोपरान्त सत्र 1989-91, जिसमें श्री अवध नारायण त्रिपाठी भी छात्र थे, का परीक्षाफल दिनांक 01 मई, 1992 को घोषित किया गया तथा उसी दिन अंकतालिका भी जारी की गयी। श्री अवध नारायण त्रिपाठी का परीक्षाफल दिनांक 01 मई, 1992 को घोषित हुआ जबकि फल संरक्षण अधिकारी, श्रेणी-2 के 05 पदों हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 07 मार्च, 1992 थी।

4— इस सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग द्वारा श्री त्रिपाठी का स्पष्टीकरण प्राप्त करने के उपरान्त पाया गया कि श्री त्रिपाठी आवेदन के समय आवेदित पद हेतु अर्ह नहीं थे। अतः लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 30 जून, 1999 द्वारा श्री त्रिपाठी की चयन की संस्तुति वापस ले ली गयी। लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 30 जून, 1999 द्वारा संस्तुति वापस लिये जाने के आधार पर शासन की विज्ञप्ति संख्या-2967/58-1-99-294/97, दिनांक 24 सितम्बर, 1999 द्वारा श्री त्रिपाठी की सेवा समाप्त कर दी गयी।

5— श्री अवध नारायण त्रिपाठी द्वारा सेवा समाप्त किये जाने विषयक विज्ञप्ति संख्या-2967/58-1-99-294/97, दिनांक 24 सितम्बर, 1999 के विरुद्ध रिट याचिका संख्या-42016/1999 मा0 उच्च न्यायालय में दायर की गयी। मा0 उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 01 अक्टूबर, 1999 द्वारा श्री त्रिपाठी की सेवा समाप्त किये जाने सम्बन्धी विज्ञप्ति संख्या-2967/58-1-99-294/97, दिनांक 24 सितम्बर, 1999 को स्थगित कर दिया गया। मा0 उच्च न्यायालय के

आदेश दिनांक 01 अक्टूबर, 1999 के अनुपालन में श्री त्रिपाठी के सेवा समाप्ति विषयक आदेश दिनांक 24 सितम्बर, 1999 को शासन के पत्र दिनांक 23 अक्टूबर, 1999 द्वारा अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया।

6— मा0 उच्च न्यायालय द्वारा श्री त्रिपाठी की उक्त रिट याचिका को पैरवी के अभाव में आदेश दिनांक 21 अगस्त, 2012 द्वारा डिसमिस कर दिया गया। उक्त डिसमिसल के उपरान्त श्री त्रिपाठी द्वारा दिनांक 30 अगस्त, 2012 को पुनर्ग्रहण प्रार्थना-पत्र मा0 उच्च न्यायालय में दायर किया गया, जिस पर विचारोपरान्त मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13 अगस्त, 2013 द्वारा रिट याचिका संख्या-42016/1999 को अपने मूल नम्बर पर रि-स्टोर करते हुए अपने पूर्व आदेश दिनांक 21 अगस्त, 2012 को रिकाल किया गया। तत्पश्चात् श्री त्रिपाठी की प्रश्नगत् याचिका को मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 09 जुलाई, 2014 द्वारा पैरवी के अभाव में पुनः निरस्त कर दिया गया।

7— श्री त्रिपाठी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09 जुलाई, 2014 को रि-काल करने हेतु पुनः प्रार्थना-पत्र दिया गया। मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 20 अप्रैल, 2017 द्वारा प्रश्नगत् रिट याचिका को निरस्त करने सम्बन्धी आदेश दिनांक 09 जुलाई, 2014 को रि-काल करते हुये पुनर्स्थापित कर दिया गया। प्रश्नगत् रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 30 नवम्बर, 2017 द्वारा याची के विवाद को विभागीय विवाद समाधान फोरम के माध्यम से 08 सप्ताह में निस्तारित किये जाने के आदेश पारित किये गये। विभागीय विवाद समाधान फोरम सक्रिय/क्रियाशील न होने के कारण प्रश्नगत प्रकरण का निस्तारण फोरम के माध्यम से कराया जाना संभव नहीं हो सका। इसी मध्य मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रश्नगत रिट याचिका को आदेश दिनांक 17 अप्रैल, 2019 द्वारा डिसमिस कर दिया गया।

8— श्री त्रिपाठी को सेवा में बनाये रखने के बिन्दु पर शासन के पत्र दिनांक 30 जुलाई, 2019 द्वारा लोक सेवा आयोग का अभिमत माँगा गया। किन्तु लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 09 नवम्बर, 2022 द्वारा श्री अवध नारायण त्रिपाठी का अभ्यर्थन दिनांक 19 जून, 1999 को लिये गये निर्णय के क्रम में निरस्त करते हुए उनकी संस्तुति वापस लिये जाने पर दृढ़ता व्यक्त की गयी है।

9— श्री अवध नारायण त्रिपाठी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-42016/1999 को मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17 अप्रैल, 2017 द्वारा डिसमिस किये जाने के आधार पर श्री अवध नारायण त्रिपाठी की सेवायें नियुक्ति के दिनांक 09 अप्रैल, 1997 से समाप्त की जाती है।

आज्ञा से,
बी0एल0 मीणा,
अपर मुख्य सचिव।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 21 मार्च, 2026 ई० (फाल्गुन 30, 1947 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग-निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ-जिला पंचायत।

खण्ड-घ

जिला पंचायत, मीरजापुर

07 अक्टूबर, 2023 ई०

सं० 3763/स्था०नि०सहा०-उपविधि/2023-जिला पंचायत भदोही द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-239 की उप धारा-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर जनपद भदोही के ग्रामीण क्षेत्रों (टाउन एरिया एवं नोटिफाइड एरिया को छोड़कर) में ठेकेदारी के कार्यों को नियंत्रित एवं विनियमित करने तथा उन पर लाइसेन्स शुल्क निर्धारित करने के उद्देश्य से बनाई गयी उपविधि, जो दिनांक 14 जून, 1997 से लागू है, में निर्दिष्ट मदों की दरों में वृद्धि/संशोधन प्रस्तावित है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा-242(2) के प्रयोजनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है। यह उपविधि गजट में प्रकाशन होने की तिथि से लागू समझी जाये। इस संशोधित उपविधि के लागू होने के उपरान्त पूर्व में प्रख्यापित उपविधि जो दिनांक 14 जून, 1997 से लागू है, का संशोधित अंश निरस्त समझा जायेगा।

उपविधि

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा-239 की उप धारा-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर जनपद-भदोही के ग्रामीण क्षेत्रों (टाउन एरिया एवं नोटिफाइड एरिया को छोड़कर) में ठेकेदारी के कार्यों को नियंत्रित एवं विनियमित करने तथा उन पर लाइसेन्स शुल्क निर्धारित करने के उद्देश्य से बनाई गयी उपविधि, जो दिनांक 14 जून, 1997 से लागू है, में निर्दिष्ट मदों की दरों में वृद्धि/संशोधन प्रस्तावित है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा-242(2) के प्रयोजनार्थ प्रकाशित किया जाता है। यह संशोधन गजट में प्रकाशन होने की तिथि से लागू समझा जायेगा। इस संशोधित उपविधि के लागू होने के उपरान्त पूर्व में प्रख्यापित उपविधि जो दिनांक 14 जून, 1997 से लागू है, का संशोधित अंश निरस्त समझा जायेगा।

क्रमांक	उपविधि में वर्तमान दर	प्रस्तावित उपविधि में संशोधित दर
1	2	3
	रुपये	रुपये
1—	(अ) दस हजार रुपये तक का ठेका लेने वाले ठेकेदार तृतीय श्रेणी के ठेकेदार होंगे और उनके लिये लाइसेन्स शुल्क रु० 200.00 प्रति वर्ष होगा।	(अ) तृतीय श्रेणी के ठेकेदार के लिए लाइसेन्स शुल्क रु० 500.00 प्रति वर्ष होगा।
2—	(ब) दस हजार रुपये तथा पचास हजार रुपये तक की धनराशि का ठेका लेने वाले ठेकेदार द्वितीय श्रेणी के ठेकेदार होंगे और उनके लिये लाइसेन्स शुल्क रु० 500.00 प्रति वर्ष होगा।	(ब) द्वितीय श्रेणी के ठेकेदार के लिए लाइसेन्स शुल्क रु० 1,000.00 प्रति वर्ष होगा।
3—	(स) पचास हजार रुपये से अधिक धनराशि का ठेका लेने वाले ठेकेदार प्रथम श्रेणी के ठेकेदार होंगे और उनके लिये लाइसेन्स शुल्क रु० 1,000.00 प्रति वर्ष होगा।	(स) प्रथम श्रेणी के ठेकेदार के लिए लाइसेन्स शुल्क रु० 3,000.00 प्रति वर्ष होगा।

13 मार्च, 2026 ई०

सं० I/836491/2026—जिला पंचायत सोनभद्र द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-239 की उप धारा-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर जिला पंचायत सोनभद्र के ग्रामीण क्षेत्रों में व सड़कों के किनारे किसी प्रकार व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों के लाइसेन्स शुल्क हेतु बनायी गयी उपविधि, जो दिनांक 23 फरवरी 2019 से लागू है, में निर्दिष्ट मदों की दरों में वृद्धि/संशोधन प्रस्तावित है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा-242(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार सरकारी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित किया जा रहा है। यह उपविधि गजट में प्रकाशन होने की तिथि से लागू समझी जाये। इस संशोधित उपविधि के लागू होने के उपरान्त पूर्व में प्रख्यापित उपविधि जो दिनांक 23 फरवरी, 2019 से लागू है, का संशोधित अंश निरस्त समझा जायेगा।

संशोधित उपविधि

क्रम सं०	मद/व्यवसाय का नाम	वर्तमान दर	प्रस्तावित दर
1	2	3	4
		रुपये	रुपये
1—	धान कूटने का मिल (राइस सेलर)	0	2,500.00
2—	एक्सपेलर	0	500.00
3—	आरा मशीन	0	2,000.00
4—	खराद मशीन	0	1,000.00
5—	फल, सब्जियां एवं खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने का कारखाना (कोल्ड स्टोरेज 50 हजार बैग तक)	0	10,000.00

1	2	3	4
		रुपये	रुपये
6—	फल, सब्जियां एवं खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने का कारखाना (कोल्ड स्टोरेज 50 हजार बैग से अधिक क्षमता पर)	0	15,000.00
7—	हाटमिक्स प्लान्ट	0	10,000.00
8—	मसाले की इंट आदि बनाने का कारखाना (सिरेमिक्स)	0	8,000.00
9—	प्लास्टिक के पाइप, टैंक बनाने का कारखाना	0	7,000.00
10—	सीमेन्ट बनाने का कारखाना	0	10,000.00
11—	फ्लोर मिल	0	10,000.00
12—	दाल मिल	0	5,000.00
13—	रिईनफोर्सड, सीमेंट क्रंकीट आदि के ह्यूम पाइप बनाने का कारखाना	0	10,000.00
14—	पेय पदार्थ बनाने का कारखाना/फैक्ट्री	0	50,000.00
15—	मिनरल वाटर बनाने का कारखाना	0	15,000.00
16—	पशु आहार बनाने का कारखाना	0	5,000.00
17—	डिटर्जेंट बनाने का कारखाना	0	7,000.00
18—	पट्टा बनाने का कारखाना	0	3,000.00
19—	टायर रिट्रेडिंग	0	4,000.00
20—	पेट्रोल व डीजल पम्प	0	5,000.00
21—	केवल डीजल पम्प	0	3,000.00
22—	प्रिंटिंग प्रेस या आफसेट प्रेस	0	2,500.00
23—	सिनेमा हाल	0	4,000.00
24—	विडियो सिनेमा हाल	0	2,500.00
25—	फिक्स चिमनी ईट भट्टा (20 पाये तक)	0	10,000.00
26—	फिक्स चिमनी ईट भट्टा (20 पाये से अधिक)	0	15,000.00
27—	स्टोन क्रेशर	0	15,000.00
28—	सूक्ष्म कुटीर उद्योग (माइक्रो) लागत 25 लाख तक	0	5,000.00
29—	लघु उद्योग (स्माल) लागत 25 लाख से 05 करोड़ तक	0	20,000.00
30—	मध्यम उद्योग (मीडियम) लागत 05 करोड़ से 10 करोड़ तक	0	50,000.00
31—	भारी उद्योग (हैवी) लागत 10 करोड़ से अधिक	0	1,00,000.00

1	2	3	4
		रुपये	रुपये
32—	बीयर की दुकान	0	3,000.00
33—	शराब, प्रिंट या अल्कोहल बनाने का कारखाना	0	50,000.00
34—	अण्डा के थोक विक्रेता की दुकान	0	1,000.00
35—	अण्डा उत्पादन	0	1,000.00
36—	हार्डवेयर	0	2,000.00
37—	मिल्क डेयरी	0	1,000.00
38—	ढाबा	0	1,000.00
39—	कपड़ा परचून की सम्मिलित दुकान	250.00	500.00
40—	केवल कपड़े की छोटी दुकान	300.00	600.00
41—	रेडीमेड कपड़े की दुकान	300.00	600.00
42—	केवल परचून की दुकान	150.00	300.00
43—	केवल परचून की बड़ी दुकान	250.00	500.00
44—	जनरल स्टोर की दुकान	150.00	500.00
45—	गल्ला किराने की छोटी दुकान जिसमें गल्ला 10 कुन्तल से कम हो	150.00	300.00
46—	गल्ले किराने की बड़ी दुकान जिसमें गल्ला 10 कुन्तल या उससे अधिक हो	250.00	500.00
47—	सोना चांदी की बड़ी दुकान	300.00	600.00
48—	सोना चांदी की आभूषण बनाने वाली दुकान	150.00	300.00
49—	चूड़ों की दुकान थोक अथवा फुटकर	150.00	300.00
50—	मेडिकल स्टोर/दवा की दुकान	150.00	300.00
51—	मेडिकल प्रक्टिसनर जो दवा भी रखते हों	300.00	600.00
52—	केवल मेडिकल प्रक्टिसनर	200.00	400.00
53—	प्रसूति एवं नर्सिंग होम 20 बेड तक	750.00	1500.00
54—	प्रसूति एवं नर्सिंग होम 20 बेड से अधिक	1,500.00	3,000.00
55—	प्राईवेट अस्पताल (निजी क्लीनिक)	500.00	3,000.00
56—	पैथालाजी सेंटर	750.00	1,500.00
57—	डेंटल क्लीनिक	300.00	600.00

1	2	3	4
		रुपये	रुपये
58—	एक्सरे व अल्ट्रासाउण्ड क्लीनीक	750.00	1,500.00
59—	आयुर्वेदिक यूनानी होम्यो पैथिक दवायें एवं डाक्टर स्टूमेन्ट पट्टी गाज रुई दूध के डब्बे इत्यादि	300.00	600.00
60—	प्रत्येक होटल या हलवाई की दुकान	150.00	300.00
61—	पुस्तक कापी स्टेशनरी की सम्मिलित दुकान	150.00	300.00
62—	लोहे की बड़ी दुकान	300.00	600.00
63—	लोहे की छोटी दुकान	150.00	300.00
64—	चाय पान की सम्मिलित दुकान	150.00	300.00
65—	डबल रोटी बिस्कुट का कारखाना	750.00	1,500.00
66—	बिस्कुट लेमनचूस टाफी की थोक दुकान	500.00	1,000.00
67—	केवल चाय की दुकान	100.00	200.00
68—	शर्बत, लस्सी सोडा वाटर की दुकान	150.00	300.00
69—	पनीर, घी, दूध की दुकान	150.00	300.00
70—	लकड़ी एवं इमारती लकड़ी की दुकान	500.00	1,000.00
71—	ईंधन हेतु लकड़ी की दुकान	100.00	200.00
72—	फर्नीचर की दुकान जिसमें सोफा सेट मसहरी कुर्सी टेबुल चौकी लकड़ी पाया इत्यादि	250.00	500.00
73—	सैलून की दुकान	100.00	200.00
74—	कपड़ा धुलाई की दुकान	100.00	200.00
75—	जूता की बड़ी दुकान	150.00	300.00
76—	जूता की छोटी दुकान	100.00	200.00
77—	साईकिल की दुकान	300.00	600.00
78—	साईकिल रिक्सा मरम्मत की दुकान	100.00	200.00
79—	साईकिल रिक्सा व साईकिल पार्ट्स टायर ट्यूब आदि की बिक्री की दुकान	300.00	600.00
80—	मोटर पार्ट्स की दुकान	300.00	600.00
81—	मोटर मरम्मत की दुकान	150.00	300.00
82—	मोटर साईकिल पन्चर मरम्मत हवा मशीन की दुकान	150.00	300.00

1	2	3	4
		रुपये	रुपये
83—	मोपेड आटो सेल्स की दुकान	3,000.00	6,000.00
84—	ट्रैक्टर एजेन्सी	3,000.00	6,000.00
85—	स्कूटी किसी भी कम्पनियों की मोटर साईकिल एजेन्सी	3,000.00	6,000.00
85—	बड़ी गाड़ियों की एजेन्सी	3,000.00	6,000.00
87—	मोटर टायर की दुकान	1,000.00	2,000.00
88—	पत्थर की छोटी दुकान	150.00	300.00
89—	पत्थर की बड़ी दुकान/पत्थर की मूर्ति की दुकान	500.00	1,000.00
90—	सीमेन्ट की चादर बनाने का कारखाना	1,500.00	3000.00
91—	सीमेन्ट की चादर, सरिया बेचने की दुकान	750.00	1,500.00
92—	सीमेन्ट का पोल	3,000.00	6,000.00
93—	सीमेन्ट की इंट बनाने व बेचने का कारखाना/दुकान	1,500.00	5,000.00
94—	सीमेन्ट की दुकान	300.00	600.00
95—	सीमेन्ट के सामान जो सिनेटरी फिटिंग के कार्य में आता हो	150.00	600.00
96—	समस्त प्रकार का चूना सफेद सीमेन्ट बालू मोरम लाल ईट, गिट्टी आदि की दुकान/बिल्डिंग मैटेरियल सामान	750.00	2,000.00
97—	रसायनिक खाद की दुकान जिसमें सरकारी दुकान या गोदाम सम्मिलित न हो	300.00	600.00
98—	कृषि सम्बन्धी मशीनरी औजार की दुकान	300.00	600.00
99—	समस्त प्रकार के बीज की दुकान	150.00	300.00
100—	टीन की बाक्स एल्मुनीयम टीन के चादर की दुकान	300.00	600.00
101—	स्टैन्लेस स्टील बर्तन की दुकान	150.00	300.00
102—	सिलाई मशीन, वाशिंग, मशीन, कम्प्यूटर, टाईपराईटर रेडियो व टी0वी0 की दुकान	750.00	1500.00
103—	कपड़े के सिलाई के दुकान पर जिसमें एक मशीन चलती हो	100.00	200.00
104—	कपड़े के सिलाई के दुकान पर जिसमें एक से अधिक मशीन चलती हो	150.00	300.00
105—	घड़ियों की दुकान जहाँ घड़ियां बेची जाती हो	300.00	600.00
106—	घड़ियों के मरम्मत की दुकान	100.00	200.00
107—	रेडियो/टी0वी0 मरम्मत की दुकान	150.00	300.00

1	2	3	4
		रुपये	रुपये
108—	मोबाईल बिक्री की बड़ी दुकान	750.00	1,500.00
109—	मोबाईल सेट व रिचार्ज की सम्मिलित दुकान पर	350.00	700.00
110—	बिजली के मोटर पंखे बल्ब तार लैम्प आदि की दुकान जहाँ पर विजली सम्बन्धी हर प्रकार के सामान बेचते हों	150.00	300.00
111—	फोटोग्राफर एवं फोटो स्टेट की दुकान	150.00	300.00
112—	बेरिंग/पम्पिंग सेट की दुकान	150.00	300.00
113—	ग्रीन शटर जाली ट्रैक्टर ट्राली बनाने आदि का कारखाना व दुकान	1,500.00	3,000.00
114—	बैटरी बिक्री एवं चार्ज की दुकान	300.00	600.00
115—	मिट्टी के तेल डीजल मोबिल आयल बेचने की दुकान फुटकर	150.00	300.00
116—	बाजे की दुकान जिसमें हर प्रकार के बाजे बेचे जाते हों या मरम्मत होती हो	150.00	300.00
117—	लाउडस्पीकर तथा इससे सम्बन्धित सामान रखने की दुकान	150.00	300.00
118—	भाँग ताड़ी की दुकान	300.00	600.00
119—	हथियार अग्नि अस्त्र अथवा किसी अन्य प्रकार शस्त्र की दुकान	500.00	1,000.00
120—	खेल खेलने का काम आने वाले सामानों की दुकान	100.00	200.00
121—	हर किस्म के वार्निश पेन्ट तारपीन के तेल वगैरह की दुकान	150.00	300.00
122—	टेन्ट सामियाना तम्बू फुलवारी कनात आदि के दुकान पर जो किराये पर दी जाती हो	500.00	1,000.00
123—	रस्सी हर किस्म जैसे नारियल सनवेद सुतरी की बनी हुयी टाट पट्टी बोरी मूज नेवार खस व खस के बने सामानों के दुकान	150.00	300.00
124—	देशी शराब की दुकान	1,500.00	3,000.00
125—	विदेशी शराब की दुकान	1,500.00	3,000.00
126—	कोल्ड स्टोरेज पावर या अन्य विधि	3,000.00	6,000.00
127—	फाइनेंस कम्पनी चिट फण्ड इंश्योरेंस कम्पनी प्रति शाखा	1,500.00	3,000.00
128—	बेल्डर खराद मशीन इन्जीनियरिंग वर्क्स	750.00	2,000.00
129—	कबाड़ी की दुकान	500.00	1,000.00
130—	गैस प्लान्ट गैस सिलेण्डर गोदाम	3,000.00	6,000.00
131—	मुर्गी पालन फार्म	750.00	1,500.00

1	2	3	4
		रुपये	रुपये
132—	धर्मकांटा	750.00	1,500.00
133—	शीसा फोटो फ्रेम की दुकान	150.00	300.00
134—	मिठाई के डिब्बे कागज के प्लेट प्लास्टिक की थैली आदि की दुकान	150.00	300.00
135—	कोयले की बड़ी दुकान	750.00	1,500.00
136—	कोयले की छोटी दुकान	500.00	1,000.00
137—	रेस्टोरेन्ट/लाज	1,500.00	3,000.00
138—	गल्ला आढ़त	750.00	1,500.00
139—	सरकारी ठेकेदार	1,200.00	2,500.00
140—	केसर प्लांट के पट्टे/बेल्ट की दुकान	750.00	2,000.00
141—	स्टोन केसर पार्ट्स की दुकान पर	750.00	2,000.00
142—	ऑटा चक्की	150.00	500.00
143—	ऑटा चक्की हालर सहित	300.00	750.00
144—	लिफ्टर नाव (वह नाव जो नदी से पम्पिंगसेट के द्वारा बालू निकालती हो प्रत्येक नग)	5,000.00	5,000.00
145—	प्रचार होर्डिंग बोर्ड प्रति वर्ग फीट	50.00	100.00
146—	अन्य बड़े व्यवसाय	2,000.00	4,000.00
147—	अन्य छोटे व्यवसाय	200.00	500.00
148—	डाइनामाईट की गोदाम/फुटकर बिक्री पर	5,000.00	10,000.00

लाइसेंस का नवीनीकरण— लाइसेंस समाप्ति पर उस वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक प्रत्येक दशा में कराना अनिवार्य होगा। इसके बाद 05 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा, जिसकी गणना 01 अप्रैल से की जायेगी।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-240 में उल्लिखित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत सोनभद्र यह घोषणा करती है कि उपरोक्त उपनियमों में से किसी भी उपनियम का उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर रु0 1,000.00 (एक हजार मात्र) अर्थदण्ड दिया जा सकता है तथा प्रथम दोष सिद्ध होने के बाद ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें उल्लंघन जारी रहा है तो रु0 50.00 प्रतिदिन के दर से जुर्माना किया जा सकता है और जुर्माना अदा न करने पर तीन माह तक का कारावास का दण्ड दिया जा सकता है।

सं0 I/836485/2026—जिला पंचायत सोनभद्र द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-239 की उप धारा-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर, जिला पंचायत सोनभद्र के खनिज परिवहन शुल्क हेतु बनायी गयी, जो दिनांक 06 सितम्बर, 2014 से लागू है, में निर्दिष्ट मदों की दरों में वृद्धि/संशोधन प्रस्तावित है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा-242(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार सरकारी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित किया जा रहा है। यह उपविधि गजट में प्रकाशन होने की तिथि से लागू समझी जाये। इस संशोधित उपविधि के लागू होने के उपरान्त पूर्व में प्रख्यापित उपविधि जो दिनांक 06 सितम्बर, 2014 से लागू है, का संशोधित अंश निरस्त समझा जायेगा।

उपविधियाँ

यह उपविधि जिला पंचायत सोनभद्र अथवा अन्य जनपदों के ग्रामीण क्षेत्र की नदियों या उनके तट से बालू, मौरंग, रेत या अन्य खनिज यथा— पत्थर (मार्बल, ग्रेनाइट, सैण्डस्टोन तथा पत्थर के अन्य उत्पाद) गिट्टी, पत्थर, बोल्टर, सुरखी, चूना, भस्सी, कोयला, सिलिका सैण्ड, कोर्ससैण्ड, खारो से निकलने वाली मिट्टी को लेने एकत्रित करने तथा उसे जिले के बाहर व्यावसायिक उद्देश्य से सार्वजनिक मार्ग या नदी मार्ग अथवा कम्पनियों द्वारा बेल्ट कन्वेयर से परिवहन करने वाले शक्ति चालित वाहन या पशु चालित वाहन यथा ट्रैक्टर-ट्राली, मिनीट्रक, डम्पर, पशुगाड़ी या मानव चालित नौका या यांत्रिक नौका को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु उपविधि कही जायेगी।

2— परिभाषाएँ— इन उपविधियों में—

2.1— अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) से है।

2.2— जिला पंचायत का तात्पर्य अधिनियम की धारा-17 (1) के अनुसार संगठित जिला पंचायत सोनभद्र से है।

2.3— ग्रामीण क्षेत्र का तात्पर्य अधिनियम की धारा-2 (10) में परिभाषित “ग्राम्य क्षेत्र” से है।

2.4— अध्यक्ष का तात्पर्य अध्यक्ष जिला पंचायत सोनभद्र से है।

2.5— अपर मुख्य अधिकारी का तात्पर्य जिला पंचायत सोनभद्र के अपर मुख्य अधिकारी से है।

2.6— सार्वजनिक मार्ग का तात्पर्य उस सड़क, पुल, सामान्य मार्ग, रास्ते या स्थान से है जिस पर होकर आने-जाने का जन-साधारण को विधि द्वारा प्रवर्तनीय अधिकार प्राप्त हो और जो सरकार या स्थानीय प्राधिकारी जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायत भी है, में निहित हो या उसके द्वारा अनुरक्षित हो, से है।

2.7— नदी मार्ग का तात्पर्य प्राकृतिक नदी का आवागमन के लिए प्रयोग से है।

2.8— पशुगाड़ी का तात्पर्य बैल या भैसा या ऊंट या घोड़ा या खच्चर द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ियों से है।

2.9— स्थान का तात्पर्य उस स्थल से है जो कि किसी खनिज उद्गम स्रोत, खदान (क्वैरीज) सार्वजनिक मार्ग या नदी मार्ग पर शुल्क वसूली हेतु सुविधानुसार अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा नियत किया जाये।

2.10— शुल्क का तात्पर्य इस उपविधि के लिए निम्न प्रकार से है—

(1)— यदि जिला पंचायत सोनभद्र इन उपविधियों की उपविधि संख्या-5 के अनुसार दिये गये शुल्क वसूली के विकल्प में शुल्क वसूली विभागीय प्रकार यानि जिला पंचायत में नियुक्त कर्मचारियों/कार्मिकों द्वारा

किये जाने का निर्णय लेती है तो शुल्क का तात्पर्य उपविधि संख्या-6 के खण्डों में समय-समय पर वर्णित एवं निर्धारित शुल्क से है।

2.11— खनिज उद्गम स्थल से तात्पर्य बालू, मौरंग, रेत या अन्य खनिज यथा पत्थर (मार्बल, ग्रेनाइट, सैण्डस्टोन तथा पत्थर के अन्य उत्पाद) गिट्टी, पत्थर, बोल्डर, सुरखी, चूना, भस्सी, कोयला, सिलिका सैण्ड, कोर्ससैण्ड, खारो से निकलने वाली मिट्टी एवं अन्य खनिज उत्खनन स्थल से है।

2.12— मण्डलायुक्त का तात्पर्य राजस्व संहिता के अध्याय-तीन (परिषद और राजस्व अधिकारी) की धारा-11 के अधीन उस मण्डल (डिविजन) के लिए नियुक्त आयुक्त (कमिश्नर) से है जिसके भीतर जिला पंचायत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती हो।

3— यह उपविधियों ग्रामीण क्षेत्र के पर्वतीय स्थलों, खदानों तथा नदियों या उनके तट, नालों, पोखरों, क्वैरीज (खदान) आदि से निकलने वाले खनिजों को लेने, एकत्रित करने या व्यावसायिक दृष्टि से सार्वजनिक मार्ग/नदी मार्ग या वेल्ड कन्वेयर से खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों के चालकों या मालिकों पर लागू होगी।

4— कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म या संस्था आदि जनपद-सोनमद्र अथवा अन्य जनपदों के ग्रामीण क्षेत्र की नदियों या उनके तट से बालू, मौरंग, रेत या अन्य खनिज यथा— पत्थर (मार्बल, ग्रेनाइट, सैण्डस्टोन तथा पत्थर के अन्य उत्पाद) गिट्टी, पत्थर, बोल्डर, सुरखी, चूना, भस्सी, कोयला, सिलिका सैण्ड, कोर्ससैण्ड, खारो से निकलने वाली मिट्टी को लेने, एकत्रित करने तथा उसे जिले के बाहर व्यावसायिक उद्देश्य से सार्वजनिक मार्ग या नदी मार्ग अथवा कम्पनियों द्वारा वेल्ड कन्वेयर से परिवहन करने वाले शक्ति चालित वाहन या पशु चालित वाहन या ट्रैक्टर-ट्राली, मिनीट्रक, डम्पर, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, या मानव या यंत्र चालित नौका से परिवहन करेगा तो उसको यथा स्थिति उपविधि संख्या-2.10 के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित शुल्क अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत द्वारा निर्धारित स्थल पर जिला पंचायत सोनमद्र द्वारा नियुक्त कार्मिक अथवा ठेकेदार या ठेकेदार द्वारा नियुक्त कार्मिक को अदा करना होगा।

5— जिला पंचायत शुल्क वसूली अपने कर्मचारियों द्वारा या ठेकेदार द्वारा करा सकती है। शुल्क वसूली ठेका अनिवार्यतः 01 वर्षीय होगा। ठेके की अवधि सामान्यतः वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से प्रारम्भ होकर अनुवर्ती वर्ष के 31 मार्च तक होगी।

6— जिला पंचायत सोनमद्र द्वारा लिये जाने वाले खनिज परिवहन शुल्क की दरें निम्नवत होंगी—

1— पशुओं द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी	30.00 रु0 प्रतिफेरी
2— मानव चालित नाव	40.00 रु0 प्रतिफेरी
3— मशीन/मोटर चालित नाव	50.00 रु0 प्रतिफेरी
4— ट्रैक्टर ट्रॉली (2 चक्का ट्रॉली)	70.00 रु0 प्रतिफेरी
5— ट्रैक्टर ट्रॉली (4 चक्का ट्रॉली या अधिक)	80.00 रु0 प्रतिफेरी
6— ट्रक— वाहन का प्रकार—	
(क) ट्रक (लाइट गुड्स व्हीकल्स 6 चक्का तक)	250.00 रु0 प्रतिफेरी
(ख) ट्रक (हैवी गुड्स व्हीकल्स 10 चक्का)	300.00 रु0 प्रतिफेरी
(ग) ट्रक (हैवी गुड्स व्हीकल्स 12 चक्का)	350.00 रु0 प्रतिफेरी
(घ) ट्रक (हैवी गुड्स व्हीकल्स 14 चक्का)	400.00 रु0 प्रतिफेरी

(च) ट्रक (हैवी गुड्स व्हीकल्स 16 चक्का)	500.00 रु0 प्रतिफेरी
(छ) ट्रक (हैवी गुड्स व्हीकल्स 18 चक्का)	600.00 रु0 प्रतिफेरी
(ज) ट्रक (हैवी गुड्स व्हीकल्स 22 चक्का या अधिक)	800.00 रु0 प्रतिफेरी

7— उपविधि द्वारा निर्धारित शुल्क में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी प्रत्येक 03 वर्ष के अन्तराल पर की जायेगी। बढ़ोतरी की गणना करने पर जो धनराशि आयेगी उसे दहाई के पूर्णांक में परिवर्तित कर दिया जायेगा। यह बढ़ी दरें अगले वित्तीय वर्ष/उस नीलामी अवधि हेतु उपयोग होगी, जिसके नीलामी में बढ़ी दरों के आधार पर नीलामी के रिजर्व मूल्य में आवश्यक वित्तीय प्रभाव जोड़ा जायेगा। 03 वर्षों के कार्यकाल की गणना इन उपविधियों के गजट प्रकाशन की जगह उनके प्रभावी होने की तिथि के प्रारम्भ से 03 वर्ष तक की जायेगी।

8— (क) यदि खनिज परिवहन शुल्क वसूली का ठेका दिया जाना है तो ई-आक्शन पोर्टल के माध्यम से नीलामी पद्धति से दिया जायेगा जिसका प्रचार राष्ट्रीय स्तर के दो प्रचलित हिन्दी दैनिक समाचार-पत्रों के प्रदेशिक संस्करण में विज्ञप्ति प्रकाशित करके किया जायेगा तथा यह सूचना जनपद या राज्य सरकार या जिला पंचायत की वेबसाइट पर भी अपलोड की जायेगी।

(ख) जिला पंचायत द्वारा खनिज परिवहन की नीलामी प्रक्रिया से पूर्व बकायेदारों की सूची जिला पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी, साथ ही ई-आक्शन के नोटिस के साथ सम्बन्धित ई-आक्शन पोर्टल तथा जनपद के एनआईसी पोर्टल पर भी अनिवार्यतः अपलोड की जायेगी। बकायेदार को यह अधिकार होगा कि वह नीलामी की तिथि के पूर्व तक पूर्ण धनराशि जमा कर नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सके। बकायेदारों की सूची जनपद के दो सर्वाधिक प्रचलन के अखबार में प्रकाशित कराना अनिवार्य होगा।

9— ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने वाले ई-नीलामीदाता (व्यक्ति/फर्म/जे0वी0) द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र (टी4) एवं निम्नानुसार रिजर्व बोली धनराशि के एक चौथाई (25 प्रतिशत) के समतुल्य हैसियत से सम्बन्धित निम्नवत अभिलेख दिया जा सकेगा—

(क) नीलामी की पूर्ण अवधि के लिए रिजर्व बोली धनराशि के एक चौथाई (25 प्रतिशत) के समतुल्य जिलाधिकारी द्वारा जारी हैसियत प्रमाण-पत्र (टी5)

अथवा

(ख) नीलामी की पूर्ण अवधि के लिए रिजर्व बोली धनराशि के एक चौथाई (25 प्रतिशत) के समतुल्य शेड्यूल्ड बैंक द्वारा जारी जिला पंचायत के पक्ष में बैंक गारंटी पत्र।

अथवा

(ग) नीलामी की पूर्ण अवधि के लिए रिजर्व बोली धनराशि के एक चौथाई (25 प्रतिशत) के समतुल्य पोस्ट आफिस से जारी एन0एस0सी0 के0वी0पी0 जो जिला पंचायत के पक्ष में बन्धक हो।

अथवा

(घ) नीलामी की पूर्ण अवधि के लिए रिजर्व बोली धनराशि के एक चौथाई (25 प्रतिशत) के समतुल्य किसी शेड्यूल्ड बैंक द्वारा जारी एफ0डी0आर0 जो जिला पंचायत के पक्ष में बन्धक हो।

10— सर्वोच्च नीलामीदाता द्वारा निम्नानुसार धनराशि अनुबन्ध करने हेतु प्रथम किश्त के रूप में जमा की जानी है—

(क) स्वीकृत बोली की धनराशि रु0 01 करोड़ होने पर अनुबन्ध हेतु बोली की सम्पूर्ण धनराशि ई0एम0डी0 को समायोजित करते हुये।

(ख) स्वीकृत बोली की धनराशि रु0 01 करोड़ से ऊपर होने पर अनुबन्ध हेतु 01 करोड़ +01 करोड़ से ऊपर की धनराशि का 25 प्रतिशत।

(ग) स्वीकृत बोली की धनराशि का 05 प्रतिशत जमानत धनराशि के रूप में जिला पंचायत सोनभद्र में ठेकेदार को अनुबन्ध करते समय जमा करना होगा, जो ठेकेदार द्वारा पूरे वर्ष संतोषजनक कार्य करने के उपरान्त 15 दिवस के अन्दर ठेकेदार को वापस कर दी जायेगी।

शेष बोली धनराशि दो बराबर किश्तों में प्रथम किश्त 30 जून तक एवं द्वितीय किश्त 30 सितम्बर तक जमा करना अनिवार्य होगा। (ई0एम0डी0 समायोजित करते हुए अंतिम किश्त के रूप में)

अन्तिम निर्धारित तिथियाँ तक किश्त जमा न करने पर ठेका निरस्त कर पूर्व में जमा धनराशियाँ जब्त हो जायेंगी एवं पुनः ठेका छोड़ने में यदि जिला पंचायत को कोई क्षति होती है तो उसकी वसूली ठेकेदार (ठेका छोड़ने वाले व्यक्ति) से की जायेगी। यदि ठेकेदार द्वारा नियत समय प्रदान करने के उपरान्त बकाया धनराशि जमा नहीं करायी जाती है तो जिला पंचायत उस धनराशि को भू-राजस्व की भांति वसूल कर सकती है।

11— ठेकेदार को ठेका स्वीकृत होने पर निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पर अनुबन्ध कराना होगा।

12— जिला पंचायत सोनभद्र के अपर मुख्य अधिकारी द्वारा अधिकृत कार्मिक/ठेकेदार द्वारा शुल्क प्राप्त करने के उपरान्त शुल्कदाता को जिला पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी गयी मुद्रित एवं क्रमांक युक्त सह हस्ताक्षरित रसीद देना अनिवार्य होगा। रसीद के प्रतिपण को जिला पंचायत में वापस करना अनिवार्य होगा।

13— ठेकेदार वसूली स्थल पर (सहज दृश्य स्थान पर) एक 8×4 का रेटबोर्ड कार्य प्रारम्भ करने से पहले लगाना अनिवार्य होगा।

14— इस रेटबोर्ड में वसूली स्थल का नाम, ठेकेदार का नाम व पता, ठेके की अवधि एवं ठेकेदार का मोबाइल नम्बर लिखना अनिवार्य होगा।

15— ठेकेदार द्वारा वसूली में लगाये गये कार्मिकों को अपर मुख्य अधिकारी द्वारा एक फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी कराया जायेगा, जो कि उन कार्मिकों को प्रदर्शित करना होगा। शुल्क वसूली में लगाये गये कार्मिकों की सूची अपर मुख्य अधिकारी द्वारा सम्बन्धित पुलिस थाने को उपलब्ध करानी होगी।

16— शुल्क वसूली का कार्य ठेके पर दिये जाने की दशा में ठेकेदार को रसीद बही रखनी होगी, जिसको जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के मांगे जाने पर दिया जाना अनिवार्य होगा।

17— ठेके की नीलामी एक 03 सदस्यीय नीलाम समिति द्वारा की जायेगी, जिसमें अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी या अभियन्ता, वित्तीय परामर्शदाता या जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य होंगे।

18— ठेका स्वीकार करने का अधिकार नीलाम समिति की संस्तुति पर अध्यक्ष जिला पंचायत को होगा। यदि किसी प्रकरण में नीलाम समिति की संस्तुति एवं अध्यक्ष जिला पंचायत में मत-भिन्नता है या नीलाम समिति की संस्तुति के प्राप्त होने के 01 सप्ताह में निस्तारण नहीं होता है तो प्रकरण अपर मुख्य अधिकारी द्वारा मण्डलायुक्त को संदर्भित कर दिया जायेगा जिनका निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

19— ठेके की अवधि में ठेके की शर्तों एवं उपविधि के अनुपालन की जांच जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, अभियन्ता, कर अधिकारी एवं कर/राजस्व निरीक्षक द्वारा की जा सकेगी। जांच में प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर ठेकेदार से स्पष्टीकरण मांगा जायेगा तथा संतोषजनक स्पष्टीकरण न होने पर नीलाम समिति की संस्तुति पर अपर मुख्य अधिकारी द्वारा ठेका निरस्त करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी तथा अन्तिम निर्णय अध्यक्ष जिला पंचायत का होगा, जो कि उभय पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

20— (क) गंभीर अनियमितताओं की स्थिति में ठेका निरस्त किये जाने पर जमा धनराशि जब्त की जायेगी एवं पुनः ठेके किये जाने पर यदि जिला पंचायत को आर्थिक कोई क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार से की जायेगी।

(ख) जिला पंचायत के किसी आदेश/खनन/परिवहन उपविधि/शासनादेशों/शर्तनामों/नीलामी की धनराशि जमा करने में किसी धारा का उल्लंघन करने की दशा में अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत घटना/समय की तिथि पर अविलम्ब लिखित नोटिस रजिस्टर्ड डाक/ई-मेल/फोन/वाट्सएप के माध्यम से देगा जिस पर ई-मेल जारी/प्राप्त किये जाने से 07 दिवस में उत्तर देना अनिवार्य होगा जिस पर जिला पंचायत को 03 कार्य दिवसों में निर्णय लेना होगा। संतोषजनक उत्तर न होने पर लिखित आदेश द्वारा ठेका अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी जो दोनों पक्षों को मान्य होगी।

21— वसूलीकर्ता द्वारा उद्गम स्थलों से ही बिना बैरियर लगाये शुल्क की वसूली की जायेगी। वसूली स्थल उद्गम स्थल/नदी मार्ग पर ऐसे स्थान पर नियत किये जायेंगे जहाँ पर कि यातायात अवरुद्ध न हो। खनिज उद्गम स्थल का अर्थ बालू/मौरग/सिलिका सैण्ड, कोर्ससैण्ड-समस्त स्वीकृत खनिज पट्टे जनपद-सोनभद्र एवं पत्थर (मार्बल, ग्रेनाइट, सैण्डस्टोन तथा पत्थर के अन्य उत्पाद) गिट्टी, पत्थर, बोल्डर, सुरखी, चूना, भस्सी, कोयला, एवं अन्य खनिज उत्खनन स्थल से है। इस हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, मुख्य जिला मार्ग, अन्य जिला मार्ग अथवा किसी भी प्रकार के मार्ग पर बैरियर, रस्सी लगाकर अथवा किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न कर इन मार्गों पर वसूली नहीं की जा सकेगी।

22— वसूली स्थल पर ठेकेदार को पर्याप्त सफाई, पेयजल, रोशनी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

23— इन उपविधियों के अनुसार बालू, मौरंग, रेत या अन्य खनिज यथा— पत्थर (मार्बल, ग्रेनाइट, सैण्डस्टोन तथा पत्थर के अन्य उत्पाद) गिट्टी, पत्थर, बोल्डर, सुरखी, चूना, भस्सी, कोयला, सिलिका सैण्ड, कोर्ससैण्ड, खारो से निकलने वाली मिट्टी के अभिवहन/परिवहन के समय वाहन मालिक/वाहन चालक/पशुगाड़ी/नाव चालक के द्वारा शुल्क न देने या जांच के समय प्रमाण स्वरूप शुल्क की रसीद न दिखाने पर ऐसा समझा जायेगा कि नियत खनिज परिवहन शुल्क की अदायगी नहीं की गयी है और ऐसे व्यक्ति से वसूली हेतु नियत अधिकारी जिला पंचायत के द्वारा कार्मिक/ठेकेदार की आख्या पर चालान की कार्यवाही की जायेगी।

24— जिला पंचायत सोनभद्र को इन उपविधियों के प्रभावी होने पर शुल्क की वसूली में से किसी विशेष वित्तीय वर्ष में कुल हुई आय का 15 प्रतिशत अंश अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग को एवं 05 प्रतिशत प्रयावरण सम्बन्धी कार्यों हेतु वन विभाग को हस्तान्तरित करना अनिवार्य होगा। एतदर्थ सम्बन्धित विभाग अपनी कार्य योजना जिला पंचायत सोनभद्र को प्रस्तुत करेंगे तथा जिला पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि के उपभोग उसी वित्तीय वर्ष में करते हुए कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेंगे।

जिला पंचायत सोनभद्र उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित) की धारा-240 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्देश देती है कि, कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म/जे०वी० या संस्था इन उपविधियों को या उपविधि के किसी अंश का उल्लंघन करेगा/करेगी तो वह अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो रु० 1,000.00 (रु० एक हजार) तक हो सकेगा, और जब ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो प्रथम दोष सिद्ध के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है, रु० 50.00 (रु० पचास) तक हो सकेगा, अथवा यदि अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डनीय होगा, जो 03 मास तक का हो सकेगा। माडल उपविधि के प्रभावी होने के दिनांक से इस विषय से सम्बन्धित पूर्व में प्रचलित उपविधियाँ निरस्त हो जायेगी।

(ह०) अस्पष्ट,
आयुक्त,
विन्ध्याचल मण्डल,
मीरजापुर।

जिला पंचायत, बाँदा

उपविधि

26 फरवरी, 2026 ई०

सं० 2235/जि०पं० बाँदा/2025-26—जिला पंचायत बाँदा ने अपने ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत सार्वजनिक सड़क एवं स्वयं की भूमि पर दुकान व अन्य व्यवसाय करने सम्बन्धी कार्य करने को नियन्त्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम—1961 यथा संशोधित की धारा 239(2) के अन्तर्गत प्रचलित उपविधि के स्थान पर संशोधित उपविधि बनाई गई है। यह उपविधि गजट प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

परिभाषायें

1—अधिनियम का तात्पर्य उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम—1961 यथा संशोधित से है।

2—ग्रामीण क्षेत्र का तात्पर्य उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम—1961 में दी गयी परिभाषाओं के अनुसार होगी।

उपविधि

1—यह उपविधि शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

2—यह उपविधि दुकानें एवं अन्य व्यवसाय को विनियमित करने सम्बन्धी उपविधि कहलायेगी।

3—कोई भी व्यक्ति/संस्था जिले के ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी सार्वजनिक सड़क के किनारे अथवा अन्य स्थान पर उपविधि में निर्दिष्ट व्यवसाय तब तक नहीं कर सकता है जब तक उस व्यक्ति/संस्था ने जिला पंचायत, बाँदा में निर्धारित लाइसेंस शुल्क जमा करके लाइसेंस न प्राप्त कर लिया हो।

4—प्रत्येक लाइसेंस की अवधि एक वर्ष होगी, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मानी जायेगी। लाइसेंस का नवीनीकरण चालू माह अप्रैल तक करा लेने की दशा में विलम्ब शुल्क से मुक्त होगा। परन्तु निर्धारित अवधि में लाइसेंस का नवीनीकरण न कराये जाने की दशा में 25 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लाइसेंस शुल्क सहित जमा करना होगा।

5—उपविधि 4 में वर्णित विलम्ब शुल्क से नये व्यवसायी मुक्त होंगे परन्तु सम्बन्धित व्यक्ति/संस्था द्वारा लिखित प्रार्थना-पत्र देकर अपर मुख्य अधिकारी/कार्य अधिकारी/कर अधिकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

6—उपविधि में निर्दिष्ट लाइसेंस शुल्क की वसूली/उगाही सामान्यतः अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, कर अधिकारी, जिला पंचायत, बॉदा द्वारा अधिकृत कर्मचारियों के माध्यम से कराई जायेगी, कर्मचारियों के अभाव में पंचायत हित में लाइसेंस शुल्क की वसूली की नीलामी ठेके पर देने की कार्यवाही पर विचार करने का अधिकार अध्यक्ष, जिला पंचायत, बॉदा में निहित होगा। वसूली कराये जाने के सम्बन्ध में निम्न विवरण के अनुसार कार्यवाही की जायेगी —

(अ) ठेका/नीलामी की स्वीकृति/अस्वीकृति का अधिकार मा0 अध्यक्ष में निहित होगा।

(ब) नीलामी व्यापक प्रचार-प्रसार के बाद नीलाम समिति के समक्ष की जायेगी, नीलाम समिति से पंचायत में कार्यरत कार्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता, अभियन्ता, कर अधिकारी सदस्य होंगे तथा अपर मुख्य अधिकारी समिति के अध्यक्ष नामित होंगे।

7—ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत उपविधि में निर्दिष्ट व्यवसाय करने वाले व्यक्ति/संस्था को इस आधार पर लाइसेंस शुल्क से मुक्त नहीं किया जा सकता है कि उसने किसी अन्य संस्था, निकाय अथवा सम्बन्धित विभाग लाइसेंस प्राप्त कर लिया हो, प्रत्येक व्यवसायी को हर हालत में जिला पंचायत से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

8—उपविधि के अधीन कोई भी लाइसेंस शुल्क का बकाया उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम-1961 के अध्याय-8 में वर्णित रीति से उद्ग्रहीत किया जायेगा।

9—जिला पंचायत, बॉदा के अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, कर अधिकारी अथवा पंचायत का कर्मचारी जिसे अपर मुख्य अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया है किसी भी दुकान का निरीक्षण कर शुल्क जमा कराने का अधिकारी होगा साथ ही साथ उपरोक्त वर्णित अधिकारी/कर्मचारी व जिला स्वास्थ्य अधिकारी अथवा स्वास्थ्य विभाग का अन्य कर्मचारी जो स्वास्थ्य निरीक्षक से कम दर्जे का न हो किसी भी उचित समय पर किसी भी दुकान में रखे गये खाद्य पदार्थ या अन्य बिक्री योग्य सामग्री का निरीक्षण करते हैं, उन्हें अधिकार होगा कि ऐसे दुकान पर रखे गये खाद्य पदार्थ जो मनुष्यों के उपयोग हेतु उचित न हो तत्काल नष्ट कर दें जिससे जनसाधारण के स्वास्थ्य में प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

10—इस उपविधि के अन्तर्गत प्राप्त लाइसेंस धारक द्वारा उपविधि के किसी भी धारा, उपधारा का उल्लंघन करने पर लाइसेंसिंग अधिकारी को यह अधिकार होगा कि किसी भी समय लाइसेंस को स्थगित कर दे अथवा निरस्त कर दे, ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील अध्यक्ष जिला पंचायत बॉदा के समक्ष आदेश प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर की जा सकती है। इस विषय पर अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

11—जिला पंचायत, बांदा द्वारा बनाई गयी उपविधि के अन्तर्गत लाइसेंस धारको को निम्नांकित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा —

(क) कोई भी व्यक्ति/संस्था ऐसे किसी व्यक्ति को जो छूत की बीमारी से पीड़ित हो, न तो स्वयं ही उपविधि में वर्णित व्यवसाय कर सकता है और न ही किसी ऐसे रोगी व्यक्ति को व्यवसाय में नौकर या सहायक के रूप में सेवायोजित कर सकता है।

(ख) कोई भी लाइसेंसधारक/व्यक्ति खाद्य पदार्थ को बनाने या रखने हेतु ऐसी धातु के बर्तनों का प्रयोग नहीं करेगा जो खाद्य पदार्थ को किसी भी प्रकार विकृत कर दूषित करते हो अथवा जिनमें बनाया हुआ अथवा रखा हुआ पदार्थ स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो।

(ग) खाद्य पदार्थ को बिक्री के लिये रखे गये साफ बर्तनों में इस प्रकार ढककर रखे जायेंगे जिनमें उन पर धूल के कण या कोई हानिकारक जीव-जन्तु बैठने न पाये जिससे खाद्य सामग्री हानिप्रद होने की सम्भावना न रहे।

(घ) प्रत्येक लाइसेंसधारक को अपने दुकान के सामने एक साइन बोर्ड लगवाना पड़ेगा जिसमें दुकान का नाम, व्यवसाय का विवरण, लाइसेंस धारक का नाम तथा रेट आदि भी अंकित करना होगा।

(ङ.) उपविधि में वर्णित व्यवसाय करने वाले लाइसेंस धारक को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त माप बाटों का प्रयोग करना होगा तथा अन्य सम्बन्धित विभाग के निर्देश का अनुपालन करना होगा।

12-उपविधि के प्रस्तर-6 में दी गई व्यवस्थानुसार पंचायत द्वारा किसी क्षेत्र विशेष लाइसेंस शुल्क उगाही कराने हेतु ठेका/नीलामी का निर्णय लिया गया है तो ऐसी दशा में सम्बन्धित ठेकेदार को निम्नांकित कार्यवाही पूर्ण कराने के उपरान्त कार्य आदेश निर्गत किये जायेंगे -

(i) नीलाम/ठेका स्वीकृत के उपरान्त उपविधि के प्राविधानों व तत्सम्बन्धी बनाई गई शर्तों के अनुसार इकरार करना होगा।

(ii) सम्बन्धित ठेकेदार को निर्धारित स्टैम्प पर "जैसा कि स्टाम्प नियमों में निर्धारित दर हो" अनुबन्ध करना होगा।

(iii) सम्बन्धित ठेकेदार को पंचायत द्वारा निर्धारित रसीद बहियों में वसूली कार्य करना होगा जो पंचायत द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरान्त जारी की जायेगी।

(iv) सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा वसूली शुल्क उद्ग्रहीत हेतु नियुक्त संग्रह कर्ताओं के नाम, पता, फोटो सहित सूची प्रस्तुत की जायेगी तदुपरान्त लाइसेंसिंग अधिकारी की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त शुल्क उद्ग्रहीत अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जा सकेगा।

(v) उपविधि में वर्णित शर्तों के साथ पंचायतीराज उ0प्र0 शासन व पंचायत तत्सम्बन्धी निर्देश/आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा।

13-उपविधि में वर्णित दुकानें व अन्य व्यवसायों के लिये दुकान/व्यवसायवार लिखित विवरण के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति/संस्था को शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा दरें निम्नवत है -

क्र०	दुकान का प्रकार/व्यवसाय विवरण	लाइसेंस शुल्क वार्षिक
1	2	3
		रुपये
1	कपड़ा की फुटकर दुकान (कटपीस)	500.00
2	कपड़ा की दुकान थोक (कटपीस)	1000.00
3	किराना की फुटकर (छोटी)	500.00

1	2	3
		रूपये
4	किराना की बड़ी दुकान (थोक)	1000.00
5	गल्ला खरीद बिक्री की बड़ी दुकान (गल्ला आढ़त)(10 कु० से अधिक पर)	2000.00
6	गल्ला खरीद की फुटकर दुकान (छोटी) (10 कु० तक)	1000.00
7	सोने चादी की आभूषण की बिक्री दुकान (सर्राफ)	5000.00
8	मेडिकल स्टोर	2000.00
9	मेडिकल स्टोर (एजेन्सी)	3000.00
10	विशात खाना/कास्टमेटिक की दुकान	500.00
11	जनरल स्टोर	1000.00
12	पुस्तक कापी (स्टेशनरी छोटी दुकान)	1000.00
13	पुस्तक कापी (स्टेशनरी थोक)	2000.00
14	मीठा दुकान (मिष्ठान भंडार)	1000.00
15	चाय-पान की सम्मिलित दुकान ठण्डा कोल्डड्रिक्स पेय पदार्थ ।	500.00
16	होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट	2000.00
17	लोहे की बड़ी दुकान (जिसमें कटिया, मशीन, बाल्टी, सरिया, इंगल आदि शामिल)	1000.00
18	लोहे की छोटी दुकान (जिसमें लोहे की बनी अन्य वस्तुयें शामिल)	500.00
19	साईकिल स्टोर (साईकिल के पुर्जे विक्रेता एवं मरम्मत कार्य)	500.00
20	बर्तन विक्रेता (बर्तन पीतल, स्टील, तांबा, सिलवर आदि धातु बड़ी)	1000.00
21	बर्तन विक्रेता (बर्तन पीतल, स्टील, तांबा सिलवर अन्य धातु छोटी)	500.00
22	कपडा सिलाई (टेलरिंग शाप)	500.00
23	जलाऊ लकड़ी की दुकान टाल	1000.00
24	इमारती लकड़ी की दुकान जिसमें बल्ली लट्ठा (शटरिंग)	2000.00
25	इमारती लकड़ी से बनाये जाने वाले समान (फर्नीचर दुकान)	1000.00
26	कोयला की दुकान (सभी प्रकार)	500.00
27	बिल्डिंग मटेरियल (सप्लायर) अथवा किराये पर उठाने वाला	3000.00
28	जूता चप्पल की दुकान, बूट हाउस शो रूम	1000.00
29	स्पंच के गद्दे तकिया सोफा प्लास्टिक फर्नीचर विक्रेता	1000.00
30	कृषि यंत्र (कृषि औजार)	2000.00
31	बीज भंडार समस्त प्रकार के (सरकारी बीज बाजार छोड़कर)	500.00
32	टीन चद्दर के बाक्स, पलंग, कुर्सी स्टील फर्नीचर दुकान	500.00

1	2	3
		रूपये
33	वाच शाप घड़ी विक्रेता (जेब, हाथ, अलार्म घड़ी)	500.00
34	बिजली के सामान इलेक्ट्रानिक्स की दुकान	1000.00
35	इलेक्ट्रिकल्स/होम अपलाईसेंस की दुकान	2000.00
36	डी०जे०, रोड लाइट (बिजली सजावट साउण्ड सर्विस)	2000.00
37	रसायनिक खाद, कीट नाशक की दुकान (जिसमें सरकार खाद व गोदम न हो)	2000.00
38	फलों की दुकान	500.00
39	सब्जी की दुकान	500.00
40	फल एवं सब्जी की सम्मिलित दुकान	1000.00
41	कांच व चीनी पत्थर के समान की दुकान (क्राकरी दुकान)	1000.00
42	बाल कटिंग (सैलून) दुकान	500.00
43	आटो पार्ट्स दुकान (दुपहिया वाहन)	1500.00
44	आटो पार्ट्स दुकान (चार पहिया वाहन)	2000.00
45	मोटर गैरिज (दुपहिया वाहन)	500.00
46	मोटर गैरिज (चार पहिया वाहन)	1000.00
47	मोटर कार, जीप कार, मोटर साइकिल, स्कूटर पंचर, हवा भरने की दुकान	500.00
48	पम्पसेट एवं पार्ट्स विक्रय दुकान/हार्डवेयर की दुकान	2000.00
49	धर्मकांटा	5000.00
50	पशु आहार विक्री दुकान	500.00
51	मुर्गी पालन उद्योग	5000.00
52	डेयरी फार्म (दुग्ध उद्योग)	2000.00
53	हथियार अग्नेयास्त्र (बन्दूक) की दुकान	5000.00
54	भांग की दुकान	500.00
55	देशी शराब की दुकान	2000.00
56	विदेशी शराब की दुकान	3000.00
57	फोटो स्टूडियो, फोटो कापी, कम्प्यूटर सर्विस	
58	रेडिमेड कपड़ा (होजरी) दुकान	2000.00
59	मोबाइल/कम्प्यूटर की दुकान	1000.00
60	मोबाइल/कम्प्यूटर एवं रिपेयरिंग की सम्मिलित दुकान	1500.00
61	मोबाइल/कम्प्यूटर एवं रिपेयरिंग की दुकान	500.00

1	2	3
		रूपये
62	लांड्री/धोबी (ड्राईक्लीनर) दुकान	1000.00
63	सभी प्रकार खेल कूद स्पोर्ट्स दुकान	2000.00
64	कबाडी की दुकान	2000.00
65	टाईल्स मार्बल की दुकान	5000.00
66	सैनेटरी एवं पेन्ट की दुकान	2000.00
67	शामियाना, कुर्सी आदि किराये की दुकान (टेंट हाउस)	2000.00
68	अण्डे की दुकान	500.00
69	घी, दूध, तेल की दुकान/डेयरी शॉप	1000.00
70	दूध विक्रेता/फेरी	500.00
71	खोवा उत्पादक फेरी द्वारा क्रय विक्रय	500.00
72	साइन बोर्ड दीवाल पेंटिंग (पेन्टर) दुकान	500.00
73	अन्य छोटे व्यवसाय	1000.00
74	आतिशबाजी की दुकान	2000.00
75	बैण्ड बाजा/ढोल भांगड़ा	1000.00
76	पेट्रोल पम्प	5000.00
77	पेट्रोल पम्प व सी0एन0जी0 पम्प	7000.00
78	गैस एजेन्सी	5000.00
79	कोल्ड स्टोरेज	10000.00
80	प्रापर्टी डीलर व्यवसाय	10000.00
81	ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी/ ट्रान्सपोर्ट बिना वाहन के ट्रेवल्स	1000.00
82	ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी/ ट्रान्सपोर्ट वाहन सहित ट्रेवल्स	2000.00
83	ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी/ ट्रान्सपोर्ट बिना वाहन के ट्रेवल्स मिनी बस	2000.00
84	ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी/ ट्रान्सपोर्ट बिना वाहन के ट्रेवल्स बस	3000.00
85	ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी/ ट्रान्सपोर्ट बिना वाहन के ट्रेवल्स अन्य चार पहियों के व्यवसायिक वाहन	500.00
86	ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी/ ट्रान्सपोर्ट बिना वाहन के ट्रेवल्स मोटर वाहन एजेंसी (सेल्स/सर्विस)	10000.00
87	ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी/ ट्रान्सपोर्ट बिना वाहन के ट्रेवल्स स्कूटर/मोटर साइकिल एजेंसी (सेल सर्विस)	10000.00
88	स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय नर्सिंग होम 20 बेड तक	5000.00

1	2	3
		रूपये
89	स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय नर्सिंग होम 20 से अधिक	10000.00
90	टंडी बियर की दुकान	1000.00
91	बालू स्टाकिस्ट (डम्प) 2000 घन मी० तक	10000.00
92	बालू स्टाकिस्ट (डम्प) 2000 घन मी० से अधिक	20000.00
93	टायर रबडिंग की दुकान	3000.00
94	अन्य मध्यम व्यवसाय	2000.00
95	अन्य बड़े व्यवसाय	3000.00
96	ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिस्थापित टावर्स आदि (टेलीफोन, मोबाइल टावर आदि)	10000.00
97	आर्किटेक्ट लाईसेन्स शुल्क	5000.00
98	कामर्शियल वाहन 3 चक्का टैम्पो आदि	1000.00
99	कामर्शियल वाहन 4 चक्का (पिकप, मैजिक, आदि)	2000.00
100	कामर्शियल वाहन 6 चक्का (छोटा ट्रक, डीसीएम, बस आदि)	3000.00
101	कामर्शियल वाहन 10 चक्का या अधिक (ट्रक, बस आदि)	5000.00
102	देशी शराब + बियर कम्पोजिट दुकान	3000.00
103	विदेशी शराब + बियर कम्पोजिट दुकान	4000.00

14—उपविधि सं०-13 में वर्णित दुकानें तथा अन्य व्यवसायों को निर्धारित शुल्क में उसके प्रभावी तिथि से 3 वर्ष के उपरान्त उत्तर प्रदेश शासन के पंचायतीराज अनुभाग की रा०सं० 2004(1)/33-2-2001-26 पी/2001, दिनांक-26 सितम्बर, 2002 की राजाज्ञानुसार दरों में नियमित शुल्क संशोधित किये जाने का अधिकार पंचायत में निहित है।

15—वाहनों के लाइसेंस न बनवाने वाले अथवा चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर जि०पं० लिखित रूप से वाहन को अपनी अनुरक्षा में लेने का अधिकारी होगा और यदि एक सप्ताह में निर्धारित किये गये शुल्क को अदा कर लाइसेंस प्राप्त न किया जायेगा तो बिना किसी के पकड़ा गया वाहन जि०पं० अधिनियम के अन्तर्गत रिकवरी चालान कर दिया जायेगा। जिसका पूर्ण दायित्व वाहन स्वामी का होगा।

दण्ड

उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत, अधिनियम, 1961 की धारा 240 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत बौदा यह निर्देश देती है कि जो भी व्यक्ति/संस्था उपरोक्त उपविधि का उल्लंघन करेगा उसे न्यायालय से दोष सिद्ध हो जाने पर दण्ड दिया जायेगा, जो रू० 1,000.00 तक हो सकेगा और जब तक ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थ दण्ड से दण्डित किया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात प्रत्येक दिन के लिये जिसमें अपराधी अपराध करता रहा है 50.00 रू० तक हो सकेगा अर्थ दण्ड का भुगतान न करने पर कारावास का दण्ड दिया जायेगा जो 3 माह होगा।

**अजीत कुमार,
आयुक्त,
चित्रकूट धाम मण्डल बांदा।**



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 21 मार्च, 2026 ई० (फाल्गुन 30, 1947 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

कार्यालय, नगर पालिका परिषद् गुलावठी बुलन्दशहर

नगर पालिका परिषद् गुलावठी जनपद-बुलन्दशहर हेतु दुकान, मार्केट, कम्यूनिटी हॉल किराया नियंत्रण एवं विनियमन की उपविधि-2025

अधिसूचना

18 अक्टूबर, 2025 ई०

सं० 761/न०पा०परि०गु०/025-026—उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन् 1916) की धारा-293 तथा उसके साथ अंकित सूची-1 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके नगर पालिका परिषद् गुलावठी, जनपद-बुलन्दशहर हेतु दुकान, मार्केट, कम्यूनिटी हॉल किराया नियंत्रण एवं विनियमन की उपविधि को पालिका के मा० बोर्ड के प्रस्ताव सं० 08 दिनांक 09 अप्रैल, 2025 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसका प्रकाशन पत्र सं० 205, दिनांक 15 मई, 2025 के माध्यम से हिन्दुस्तान समाचार-पत्र एवं दैनिक जन सागर टुडे समाचार-पत्र में आपत्ति एवं सुझाव आमन्त्रित किये जाने हेतु कराया गया था। प्रकाशन की तिथि से 35 दिवस के अन्दर सर्व साधारण से आपत्ति एवं सुझाव मांगे गये। समयान्तर्गत कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त न होने पर उपविधि को पालिका बोर्ड की

बैठक दिनांक 14 अक्टूबर, 2025 को रखा गया जिसे पालिका बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव सं0 06 के द्वारा सर्वसम्मति से परित कर दिया गया। इस उपविधि के अंतिम रूप को अनुमोदन हेतु नियमानुसार निम्न रूप से तैयार किया गया है। इस उपविधि को नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-301 (1) के प्रयोजनार्थ अंतिम रूप से प्रकाशित किया जाता है।

1— **संक्षिप्त नाम**— यह उपनियमावली गुलावठी नगर पालिका परिषद् गुलावठी की दुकान किराया नियंत्रण उपनियमावली वर्ष 2025 कहलायेगी।

2— परिभाषा—

1— यह उपविधि नगर पालिका परिषद् गुलावठी की सीमान्तर्गत अपनी सम्पत्ति जैसे दुकान, मार्केट, कम्यूनिटी हॉल आदि सम्पत्ति पर नियंत्रण करने एवं शुल्क अथवा किराया वसूली उपविधि कहलायेगी।

2— नगर पालिका परिषद् गुलावठी का तात्पर्य नगर पालिका परिषद् गुलावठी, जनपद-बुलन्दशहर से है।

3— बोर्ड का तात्पर्य नगर पालिका परिषद् गुलावठी बोर्ड से है।

4— अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद् गुलावठी, जनपद-बुलन्दशहर से है।

5— सक्षम अधिकारी का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद् गुलावठी, जनपद-बुलन्दशहर से है।

6— अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक का तात्पर्य नगर पालिका परिषद् गुलावठी, जनपद-बुलन्दशहर के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक से है।

7— दुकान का तात्पर्य पालिका की ऐसी सम्पत्ति से है जो पालिका द्वारा निर्मित तथा पालिका के नियंत्रणाधीन है।

8— कम्यूनिटी हॉल का तात्पर्य ऐसे भवन से जिसे अपने नियंत्रणाधीन रहते हुये पालिका शादी विवाह जैसे उत्सवों के लिए किराये पर देगी।

9— किरायेदार से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसके नाम पालिका की दुकान को सर्वाधिक प्रीमियम बोली के आधार पर आवंटित किया जायेगा।

10— प्रीमियम का तात्पर्य उस धनराशि से है जो दुकान किराये पर उठाते समय सर्वाधिक बोली के आधार पर पालिका में जमा की जायेगी। जो दुकानों की जमानत स्वरूप धरोहर के रूप में पालिका के पास जमा रहेगी और जिसे दुकान खाली करते समय किरायेदार पालिका से वापस ले सकता है।

11— किराये से तात्पर्य उस धनराशि से है जो पालिका द्वारा निर्धारित किया जायेगा तथा किरायेदार को कैलेंडर माह की प्रत्येक 01 तारीख को पालिका में जमा करना होगा।

नियम

1— नगर पालिका परिषद् गुलावठी की अपनी सीमा में स्थित स्वनिर्मित तथा अपने नियंत्रणाधीन दुकान, मार्केट, कम्यूनिटी हॉल आदि को किराये पर उठाने हेतु खुली प्रीमियम नीलामी करने का अधिकार होगा।

2— नगर पालिका परिषद् गुलावठी द्वारा अपने नियंत्रणाधीन दुकानों की खुली नीलामी नगर पालिका परिषद् गुलावठी परिसर में की जायेगी।

3— नगर पालिका परिषद् गुलावठी द्वारा किरायेदार से कुल नीलामी के 10 प्रतिशत के स्टाम्प पर किराये का अनुबन्ध किरायेदार के खर्चे पर कराया जाना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक 05 वर्षों के बाद निर्धारित स्टाम्प पर अनुबन्ध का नवीनीकरण किरायेदार स्वयं अपने खर्चे पर करायेंगा। अनुबन्ध अथवा नवीनीकरण न कराये जाने की दशा में सम्बन्धित व्यक्ति को आवंटित की गयी दुकान निरस्त कर दी जायेगी तथा पालिका उसे अपने नियंत्रण में ले लेगी।

4— नगर पालिका परिषद् गुलावठी की दुकानों को सर्वोच्च नीलामी पर जिस व्यक्ति द्वारा किराये पर लिया जायेगा वही व्यक्ति/किरायेदार अपने स्वयं के खर्चे पर बिजली का कनेक्शन लगवायेगा।

5— नगर पालिका परिषद् गुलावठी द्वारा प्रत्येक वर्ष दुकान के किराये की धनराशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि करेगी।

6— नगर पालिका परिषद् गुलावठी की दुकानों में कोई भी किरायेदार आपत्ति जनक/शासन द्वारा प्रतिबन्धित कारोबार नहीं करेगा।

7— नगर पालिका परिषद् गुलावठी की दुकानों में किरायेदार पालिका की बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की मरम्मत का कार्य नहीं करेगा। अगर मरम्मत कराया जाना आवश्यक होगा तभी किरायेदार अंकन 5,100/—रु० की रसीद नगर पालिका परिषद् गुलावठी द्वारा जारी कराकर आवेदन के साथ संलग्न कर नगर पालिका परिषद् गुलावठी में जमा किया जाना सुनिश्चित करेगा। उसके पश्चात् ही मरम्मत किये जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। दुकान के अन्दर मरम्मत का कार्य किरायेदार स्वयं अपने खर्चे पर करायेंगा। दुकान की मरम्मत का कार्य पालिका के अवर अभियंता की देख-रेख में कराया जायेगा।

8— नगर पालिका परिषद् गुलावठी की दुकान के स्वरूप/ठांके को तोड़-फोड़ कर नहीं बदलेगा अगर किसी भी प्रकार का बदलाव परिहार्य स्थिति में होना आवश्यक होगा तभी उस दशा में पालिका के अवर अभियंता की तकनीकी रिपोर्ट के उपरान्त पालिका अनुमति पर ही बदलाव संभव होगा।

9— नगर पालिका परिषद् गुलावठी की दुकान जिस व्यक्ति के नाम उच्चतम बोली पर छोड़ी जायेगी वह व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को दुकान को किराये पर नहीं देगा अथवा शिकमी किरायेदार नहीं बैठायेगा।

10— नगर पालिका परिषद् गुलावठी की दुकान जिस व्यक्ति के नाम उच्चतम बोली पर छोड़ी जायेगी उस किरायेदार की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके परिवार के वारिसों के पास 02 विकल्प होंगे प्रथम यदि वह चाहें तो पालिका के पास सम्बन्धित दुकान की जमा प्रीमियम धनराशि को पालिका से वापस लेकर दुकान को पालिका के कब्जे में दे दें अथवा दूसरा विकल्प जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त वारिसान प्रमाण के आधार पर जिसे वह दुकान पर बैठाना चाहते हैं उसके पक्ष में अन्य वारिसों का अनापत्ति प्रमाण-पत्र/शपथ पत्र आवेदन के साथ पालिका में जमा कर सकते हैं तदुपरान्त नामांत्रण की प्रक्रिया को पालिका द्वारा पूर्ण की जायेगी। नामांत्रण प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के उपरान्त अंकन 51,000/— रु० नगर पालिका परिषद् गुलावठी में जमा कर उसके नाम सम्बन्धित दुकान पर नगर पालिका परिषद् गुलावठी में सम्बन्धित दुकान की किरायेदारी में नाम दर्ज किया जायेगा।

11— नगर पालिका परिषद् गुलावठी की दुकानों का किराया जो तय किया जाता है वह किराया किरायेदार को कैलेंडर की 01 तारीख से 05 तारीख के बीच नगर पालिका परिषद् गुलावठी में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। विलम्ब की दशा में नगर पालिका परिषद् गुलावठी द्वारा निम्नानुसार विलम्ब शुल्क वसूल किया जायेगा।

01 माह के विलम्ब पर रु० 20/-

02 माह के विलम्ब पर रु० 30/-

03 माह के विलम्ब पर रु० 40/-

04 माह के विलम्ब पर रु० 50/-

05 माह के विलम्ब पर रु० 60/-

06 माह के विलम्ब पर रु0 70/-

07 माह के विलम्ब पर रु0 80/-

08 माह के विलम्ब पर रु0 90/-

09 माह के विलम्ब पर रु0 100/-

10 माह के विलम्ब पर रु0 110/-

11 माह के विलम्ब पर रु0 120/-

12 माह के विलम्ब पर रु0 150/-

12— यदि किरायेदार 12 माह तक नगर पालिका परिषद् गुलावटी की दुकानों का किराया नगर पालिका परिषद् गुलावटी में जमा नहीं करता है, तब नगर पालिका परिषद् गुलावटी को अधिकार होगा कि वह उस किरायेदार को किरायेदारी से बेदखल करने की कार्यवाही कर सकती है।

13— किसी प्रकार की विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र बुलन्दशहर होगा।

14— उपरोक्त नियमों से किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर नगर पालिका परिषद् गुलावटी को दुकान किरायेदारी समाप्त करने का अधिकार होगा।

शैलेश तेवतिया,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद् गुलावटी,
जनपद-बुलन्दशहर।

कार्यालय नगर पंचायत महोना, जनपद लखनऊ

27 जनवरी, 2026 ई0

सं0 211/न0पं0(उपविधियां) भवन निर्माण/प्रकाशन/2025—उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 (अधिनियम संख्या 2, 1916) की धारा 298 (2) के उपखण्ड (क) क, ख, ग, घ, ङ के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नगर पंचायत महोना, जनपद लखनऊ की बोर्ड बैठक दिनांक 17 फरवरी, 2025 के संकल्प संख्या 1, के अन्तर्गत अपनी सीमा के अन्तर्गत भवन निर्माण उपविधि का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। नगर निवासियों से एक माह के अंतर्गत आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने की दृष्टि से दैनिक समाचार-पत्र हिन्दुस्तान एवं एवरीडे न्यूज में दिनांक 26 फरवरी, 2025 को प्रकाशित किया गया। परन्तु प्रस्तावित उपविधि के सम्बन्ध में निर्धारित समयावधि के अंतर्गत कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी है। अतः बोर्ड बैठक दिनांक 17 फरवरी, 2025 के संकल्प संख्या-एक द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसे गजट प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

भवन मानचित्र एवं भवन निर्माण उपविधि 2025

1— **शीर्षक**— यह उपविधि नगर पंचायत महोना, जनपद लखनऊ भवन मानचित्र एवं भवन निर्माण उपविधि 2025 कहलायेगी।

2— **प्रकृति**— यह उपविधि उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से नगर पंचायत, महोना की सीमा में प्रभावी रहेगी।

3— **परिभाषाएँ**— जब तक विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस उपविधियों में—

1— “अधिनियम” का तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है।

- 2— “नगर पंचायत” का तात्पर्य नगर पंचायत, महोना, जनपद लखनऊ से है।
- 3— “नगर पंचायत की सीमाओं” का तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमाओं या भविष्य में बढ़ने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमाओं से है।
- 4— “अधिशाली अधिकारी” का तात्पर्य नगर पंचायत महोना, जनपद लखनऊ के अधिशाली अधिकारी से है।
- 5— “अध्यक्ष” से तात्पर्य नगर पंचायत महोना, जनपद लखनऊ के अध्यक्ष/प्रशासक से है।
- 6— “बोर्ड/समिति” का तात्पर्य नगर पंचायत, महोना, जनपद लखनऊ के बोर्ड/समिति से है।
- 7— विनियमन का तात्पर्य भवन के मूल निर्माण एवं बने हुए भवन में अतिरिक्त निर्माण एवं फेर बदल की कार्यवाही का विनियमित करने से है।
- 8— मानचित्र से तात्पर्य भवन के ड्राइंग, डिजाइन एवं विशिष्टियों के अनुसार कागज/इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस पर बने उस नक्शे से है, जो कि पंजीकृत वास्तुविद् के द्वारा बनाकर प्रस्तुत किया गया हो एवं डिजाइन योग्य (Eligible) अभियन्ता द्वारा तैयार किया गया हो।
- 9— निर्माण कार्य का तात्पर्य किसी भवन में निर्माण करना, पुनः निर्माण करना या उसमें सारवान विचलन करना या उसको ध्वस्त करने से है।
- 10— भवन की ऊंचाई का तात्पर्य संलग्न किसी नाली के टाप से लेकर उस भवन के सबसे ऊंचे बिन्दु तक नापी गयी लम्बवत् (Vertical) ऊंचाई से एवं ढलान वाली छत के लिए दो गहराईयों के बीच से है। भवन की ऊंचाई में मन्टी, मशीनरूम, पानी की टंकी, एन्टीना आदि की ऊंचाई सम्मिलित नहीं होगी।
- 11— छज्जा का तात्पर्य ऐसे ढलाननुमा या भूमि के क्षितिज के अनुसार बाहर निकले हुए भाग से है, जो कि सामान्यतया सूरज या बारिश से बचाव के लिए बनाया जाता है।
- 12— ड्रेनेज का तात्पर्य उस व्यवस्था से है, जिसका निर्माण किसी तरल पदार्थ जैसे रसोई, स्नानगृह, से विसर्जित पानी आदि को हटाने के लिए किया जाता है, इसके अन्तर्गत नाली व पाइप भी सम्मिलित है।
- 13— निर्मित भवन का तात्पर्य ऐसे भवन से है, जो कि परिभाषित नगरीय क्षेत्र में इन उपविधियों के लागू होने से पहले अस्तित्व में आ चुका है अथवा नगर पंचायत की स्वीकृति के बिना निर्मित किया गया हो।
- 14— तल (Floor Level) का तात्पर्य किसी मंजिल के उस निचले खण्ड से है, जहां पर सामान्यतः किसी भवन में चला फिरा जाता हो।
- 15— फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) का तात्पर्य उस भागफल से है, जो सभी तलों के आच्छादित कुल क्षेत्रफल को भू-खण्ड के क्षेत्रफल से भाग देने से प्राप्त होता है।
- 16— भू-आच्छादन (Ground-Coverage) का तात्पर्य भू-तल पर बने सभी निर्माण द्वारा घेरे गये क्षेत्रफल से है।
- 17— ग्रुप हाउसिंग का तात्पर्य उस परिसर से है, जिसके अन्दर आवासीय फ्लैट अथवा स्वतंत्र आवासीय (Independent Apartment Unit) इकाई बनी हो तथा मूल सुविधाओं जैसे पार्किंग, पार्क, बाजार, जनसुविधायें आदि का प्रावधान हो।
- 18— ले-आउट प्लान का तात्पर्य उस नक्शे से है, जोकि किसी स्थल के समस्त भू-खण्ड, भवन खण्ड, मार्ग, खुली जगह, आने जाने के बिन्दु, पार्किंग व्यवस्था, भू-निर्माण (Land-scaping) अथवा विभिन्न आकार की प्लानिंग की समस्त जानकारी व अन्य विवरण को इंगित करने वाले प्लान से है।
- 19— प्राविधिक (Technical) व्यक्ति का तात्पर्य निम्नलिखित व्यक्ति से है—

(अ)— सहायक अभियंता, से तात्पर्य नगर पंचायत महोना में सम्बद्ध सहायक अभियंता, नगर निगम, लखनऊ से है।

(ब)— अवर अभियंता इस उपविधि में अवर अभियंता का तात्पर्य उस अवर अभियंता से है जिसको सहायक अभियंता, नगर पंचायत द्वारा भवन के नक्शों की स्वीकृति की कार्यवाही के लिए निदेशित (Designated) किया गया हो।

20— कार्य अधिकारी का तात्पर्य, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत महोना, जनपद लखनऊ से है।

21— अधिभोग (Occupancy) का तात्पर्य उस प्रयोजन से है, जिसके लिए भवन या उसका भाग प्रयोग में लाया जाना है, जिसके अन्तर्गत सहायक अधिभोग भी सम्मिलित है।

22— स्वामी का तात्पर्य व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, कम्पनी, ट्रस्ट, पंजीकृत संस्था, राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के विभाग एवं अन्य प्राधिकरण जिसके/जिनके नाम में भूमि का स्वामित्व, सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज है।

23— रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तात्पर्य बरसात के पानी को उपयोग करके विभिन्न तकनीकों से भू-गर्भ जल के स्तर को ऊंचा उठाने से है।

24— सेटबैक का तात्पर्य किसी भवन के चारों तरफ यथास्थिति या मानक के अनुसार एवं बाउन्ड्री दीवार के बीच छोड़ी गयी खाली जगह अथवा रास्ते से है।

25— बहु-मंजिली भवन (Multy-Story) भू-तल सहित चार मंजिल से अधिक अथवा 15 मीटर से अधिक ऊंचाई का भवन बहु-मंजिल कहलायेगा।

26— मंजिल का तात्पर्य भवन के उस भाग से है, जो किसी तल की सतह और इसके ऊपर के अनुवर्ती तल के बीच हो और यदि इसके ऊपर कोई तल न हों, तो वह स्थान जो तल और इसके ऊपर की छत के मध्य हो।

27— भवन का तात्पर्य ऐसी स्थायी प्रकृति के निर्माण अथवा संरचना से है, जो कि किसी भी प्रकार की सामग्री से निर्माण किया जाये एवं उसका प्रत्येक भाग चाहे मानव प्रयोग या अन्यथा किसी प्रयोग में लाया जा रहा हो एवं उसके अन्तर्गत बुनियादी, कुर्सी क्षेत्र, दीवार, फर्श, छत, चिमनी, पानी की व्यवस्था, स्थायी प्लैटफार्म, बरान्डा, बालकनी, कार्नास या छज्जा या भवन का अन्य भाग जो किसी खुले भू-भाग को ढकने के उद्देश्य से बनाया जायेगा।

28— आवासीय भवन के अन्तर्गत वे भवन सम्मिलित होंगे, जिनमें सामान्यतः आवासीय प्रयोजन के प्राविधान सहित शयन सुविधा के साथ खाना बनाने तथा शौचालय की सुविधा हो। इसमें एक अथवा एक से अधिक इकाई शामिल है।

29— व्यवसायिक/वाणिज्यिक भवन के अन्तर्गत वे भवन या भवन का वह भाग जो दुकानों, भण्डारण, बाजार, व्यवसायिक वस्तुओं के प्रदर्शन, थोक या फुटकर बिक्री, व्यवसाय से सम्बन्धित कार्य-कलाप, होटल, पेट्रोल पम्प, कन्वीनिएन्स स्टोर्स एवं सुविधाएं जो माल व्यवसायिक माल की बिक्री से अनुशांगिक हों और उसी भवन में स्थित हो सम्मिलित होंगे अथवा ऐसे भवन/स्थल जिनका प्रयोग धनोपार्जन हेतु किया गया है।

30— संकटमय भवन के अन्तर्गत भवन या भवन के वह भाग सम्मिलित होंगे जिनमें अत्यधिक ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री या उत्पाद का संग्रहण, वितरण, उत्पादन या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) का कार्य होता हो या जो अत्यधिक ज्वलनशील हो या जो ज्वलनशील भाप या विस्फोटक पैदा करता हो या जो अत्यधिक कोरोसिव, जहरीली या खतरनाक क्षार, तेजाब हो या अन्य द्रव्य पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जिनमें ज्वाला, भाप पैदा होती हो, विस्फोटक जहरीले इरीटेन्ट या कोरोसिव गैसों पैदा होती हो या जिनमें धूल के विस्फोटक मिश्रण पैदा करने वाली सामग्री या जिनके परिणामस्वरूप ठोस पदार्थ छोटे-छोटे कणों में विभाजित हो जाता हो और जिनमें तत्काल ज्वलन प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती हो, के संक्रमण, वितरण या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) के लिए प्रयुक्त किया जाता हो।

31— भवन गतिविधि/भवन निर्माण का तात्पर्य किसी भवन के बनाने या पुनः बनाने या उसमें सारवान विचलन या ध्वस्त करने की कार्यवाही मानी जायेगी।

32— पार्किंग स्थल का तात्पर्य ऐसे चारदीवारी में बंद या खुले स्थान से है, जहां पर वाहन इकट्ठे रूप में खड़े हो सकते हैं, परन्तु इसके लिए आवश्यक है कि उक्त स्थान पर आने जाने के लिए सुगम एवं स्वतंत्र जोड़ने वाला मार्ग बना हो।

33— इन उपविधियों में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है परन्तु वे उक्त परिभाषाओं में सम्मिलित नहीं हैं का तात्पर्य वही होगा, जो कि ऐसे शब्दों का National building code एवं Bureau of Indian standard यथा संशोधित माना जाता है। किसी विरोधाभास की स्थिति में अधिनियम के प्रावधान प्रभावी माने जायेंगे।

उपविधि भाग-2

ये उपविधियां नगर पंचायत महोना, लखनऊ के उक्त परिभाषित नगरीय क्षेत्र में जो कि इन उपविधियों के लिए परिभाषित किया गया है, में किसी भी व्यक्ति, ठेकेदार, कम्पनी, फर्म या संस्था, सहकारी समिति, सोसाईटी, राजकीय विभाग द्वारा निर्माण कराये जाने वाले आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक भवन, शिक्षण संस्थान, फार्महाउस, ग्रुप हाउसिंग, दुकानों, मार्केट, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन इत्यादि का ले-आउट प्लान या भवन प्लान एवं निर्मित भवनों में परिवर्तन, परिवर्धन, विस्तार एवं भू-खण्डों के विकास आदि को नियन्त्रित एवं विनियमित करने की उपविधियां कहलायेंगी।

(ख) प्रार्थना-पत्र, भू-अभिलेख व नक्शे

उक्त नगरीय क्षेत्र में कोई नया निर्माण, पुराने भवन में परिवर्तन या परिवर्धन, विस्तार या भू-खण्ड के ले-आउट की स्वीकृति का आशय रखने वाला स्वामी, इन उपविधियों के अनुसार, ऐसा करने से एक माह पहले अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत महोना को एक आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख तथा सूचनाएं प्रस्तुत करेगा एवं पावती प्राप्त करेगा।

1— स्थल का नक्शा निम्नवत् दिया जायेगा—

ले-आउट प्लान का पैमाना 1 : 500 होगा।

की-प्लान का पैमाना 1 : 1000 होगा।

बिल्डिंग प्लान का पैमाना 1 : 100 होगा।

स्थल के चारों तरफ की सीमायें उनके नाम तथा समीपवर्ती भूमि का संक्षिप्त विवरण तथा भूमि मालिक का नाम एवं पूर्ण पता। समीपवर्ती मार्ग अथवा मार्गों का विवरण तथा निर्माणाधीन भवन से मार्ग की दूरी। स्थल के नक्शे के साथ भूमि के स्वामित्व का प्रमाण-पत्र जैसे विक्रय आलेख, दाखिल-खारिज खतौनी (तीन माह से अधिक की न हो), पंजीकृत वसीयत, पंजीकृत दान विलेख (गिफ्ट डीड)।

2— प्रस्तावित भवन परियोजना का नक्शा उपरोक्त वर्णित पैमाने के अनुसार होगा।

अ— प्रत्येक मंजिल के ढके हुए भाग का नक्शा, पूर्ण विवरण सहित।

ब— नक्शे पर पंजीकृत वास्तुविद् का पंजीकरण नंबर, नाम व पता पंजीयन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति सहित हस्ताक्षर युक्त।

स— नक्शे पर भू-स्वामी अथवा स्वामियों के नाम व पता सहित हस्ताक्षर।

य— भू-स्वामी अथवा स्वामियों द्वारा नक्शा स्वीकृति के लिए प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र।

र— भवन/परियोजना के बनाने व उपयोग का उद्देश्य जैसे आवासीय, व्यवसायिक, शिक्षण, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन।

ल— स्थल का की-प्लान, ले-आउट प्लान, फ्लोर प्लान, एलिवेशन, भवन की ऊंचाई, सैक्शन, स्ट्रक्चर विवरण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली, बेसमेंट, लैंडस्केप प्लान, वातानुकूलित प्लांट, सीवेज-जल निस्तारण व्यवस्था, अग्नि निकास, जीने की स्थिति व अन्य विवरण।

व— नक्शे पर परियोजना का नाम, शीर्षक, भू-खण्ड का खसरा, वार्ड संख्या, तहसील सहित पूरा नाम।

स— नक्शे पर भू-खण्ड का क्षेत्रफल, ग्राउण्ड कवरेज, हर तल का क्षेत्रफल, बेसमेंट का क्षेत्रफल आदि का विवरण।

3— बहु-मंजिली भवन (Multy-Story) भू-तल सहित चार मंजिल से अधिक अथवा 15 मीटर से अधिक ऊंचाई के भवन के नक्शे पर निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना भी देनी होगी—

अग्नि शमन प्रणाली की व्यवस्था, आपात सीढ़ी व निकास, अग्नि सुरक्षा लिफ्ट, अग्नि अलार्म आदि का विवरण व ठिकाने (Location)। निर्माण कार्य एवं निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियाँ आदि।

(ग) नक्शा स्वीकृति प्रदान न करने की परिस्थितियाँ

1— निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की किसी भू-खण्ड पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी, यदि—

अ— प्रस्तावित भवन-उपयोग अनुमन्य भू-उपयोग से भिन्न है।

ब— प्रस्तावित निर्माण धार्मिक प्रकृति का है और उससे किसी समाज की धार्मिक भावनाएं आहत होती हो।

स— प्रस्तावित निर्माण का उपयोग लोगो की भावनाएं भड़काने का स्रोत (Source of Annoyance) अथवा आस पास रहने वालों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालता हो।

(घ) तकनीकी अनुदेश (Technical-Instructions)

1— नक्शा/प्लान में निम्न अनुदेशों का पालन किया जायेगा—

क— एक आवास गृह में 4.50 व्यक्ति प्रति गृह माना (Consider) गया है।

ख— भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt-Parking) अधिकतम 2.40 मीटर ऊंचाई तक अनुमन्य होगी।

ग— लिंटल (Lintel) अथवा छत स्तर पर छज्जा अधिकतम क्रमशः 0.45 मीटर एवं 0.75 मीटर चौड़ा होगा।

घ— बेसमेंट का निर्माण भवन की सीमा से बाहर नहीं किया जायेगा। बेसमेंट की फर्श से सीलिंग तक की अधिकतम ऊंचाई 4.50 मीटर होगी तथा बाहर की नाली से बेसमेंट की अधिकतम ऊंचाई 1.50 मीटर होगी। स्ट्रक्चर स्थिरता के आधार पर बेसमेंट सन्निकट (Adjacent) प्लाट से 2.0 मीटर दूरी तक निर्मित किया जा सकता है।

ङ— बहु मंजिली भवन में कम से कम एक सामान (Goods)/मालवाह लिफ्ट का प्रावधान करना होगा।

च— राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) 2005 के प्रावधान के अनुसार गुप हाउसिंग के दो ब्लॉक में न्यूनतम 6.0 मीटर से 16 मीटर की दूरी होगी। भवन की 18 मीटर ऊंचाई तक 6 मीटर इसके पश्चात् प्रत्येक

3 मीटर अतिरिक्त ऊंचाई के लिए ब्लॉक की दूरी 1 मीटर बढ़ायी जायेगी। भू-खण्ड के डैड एन्ड (Dead End) पर ब्लॉक की अधिकतम दूरी 9 मीटर होगी।

छ— बहु मंजिली भवन में चार तलों के बाद एक सेवा तल अनुमन्य होगा। किसी भवन में अधिकतम तीन सेवा तल का प्रावधान किया जा सकता है। सेवा तल की अधिकतम ऊंचाई 2.40 मीटर होगी।

ज— भूमि की प्लाटिंग में प्लाटों के बीच कम से कम 9 मीटर चौड़ा रोड व मेन रोड 12 मीटर होगी तथा कोई भी परियोजना पहुँच मार्ग एवं सम्पर्क मार्ग से जुड़ी होगी।

2— निम्नलिखित निर्माण/सुविधाओं के लिये भू-खण्ड का 10 प्रतिशत क्षेत्रफल, भू-आच्छादन (Ground-Coverage) में अतिरिक्त जोड़ा जा सकता है—

क— जेनरेटर कक्ष, सुरक्षा मचान, सुरक्षा केबिन, गार्ड रूम, टॉयलेट ब्लॉक, ड्राइवर रूम, विद्युत उपकेन्द्र आदि।

ख— मम्टी, मशीन रूम, पम्प हाउस, जल-मल प्लांट।

ग— ढके हुए पैदल पथ आदि।

3— क— आवासीय भवन में कमरे का आकार 3×3 मी० से कम न होना चाहिए।

ख— छत की सीलिंग की ऊंचाई 2.75 मीटर से कम न होनी चाहिए।

ग— रसोई घर की ऊंचाई 2.75 मीटर, आकार 1.80 मीटर एवं 2.50 मी० से कम न होना चाहिए।

ङ— संयुक्त शौचालय का आकार 1.20 मीटर एवं 2.20 वर्गमीटर से कम न होना चाहिए।

च— खिड़की व रोशनदान का क्षेत्रफल फर्श के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत से कम न होना चाहिए।

छ— तीन मंजिल तक के भवन में सीढ़ी की चौड़ाई 1 मीटर एवं इससे अधिक ऊंचे भवन में 1.50 मीटर से कम न होनी चाहिए।

4— क— पार्क, टोट-लोट्स (Tot-Lots), लैंड स्केप (Land-scape) आदि का क्षेत्रफल भू-खण्ड के क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत होगा।

ख— 30 मीटर तक के मार्ग पर स्थित समस्त प्रकार के भवनों की अधिकतम ऊंचाई सड़क की विद्यमान चौड़ाई तथा अनुमन्य फ्रंट सेट-बैक के योग का डेढ़ गुना होगी।

ग— भूकम्प रोधी प सुरक्षित डिजाइन की जिम्मेदारी वास्तुविद एवं उसके अन्तर्गत कार्यरत डिजाईनर की होगी तथा उसका सत्यापन अवर अभियंता नगर पंचायत महोना द्वारा करा कर कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।

5— स्वीकृत किये गये भवन में जल आपूर्ति एवं मल-मूत्र एवं उपभोग पानी के निस्तारण (Disposal) की व्यवस्था स्वामी द्वारा स्वयं की जायेगी, नगर पंचायत का इसके लिए कोई उत्तरदायित्व व्यय अधिभार नहीं होगा।

6— बेसमेंट में इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर की स्थापना, ज्वलनशील, विस्फोटक सामग्री आदि का भण्डारण नहीं किया जा सकेगा।

(ङ) रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

भवन एवं पक्की सड़कों के द्वारा भू-खण्ड के प्रत्येक 300 वर्गमीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा। प्रत्येक 1000 वर्गमीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक अतिरिक्त वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना होगा।

(छ) भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो (FAR)

विभिन्न भवनों हेतु भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) के मानक निम्नवत् होंगे—

क्रम सं०	भवन एवं भू-उपयोग	भू-आच्छादन प्रतिशत	फ्लोर एरिया रेशियो (FAR)	भवन की अधिकतम ऊंचाई सूची-1 के अनुसार जनपदों में	भवन की अधिकतम ऊंचाई अन्य जनपदों में
1	2	3	4	5	6
1	आवासीय भवन—				
(i)	भू-खण्ड 500 वर्ग मीटर तक	80	3.00	15	15
(ii)	भू-खण्ड 501–2000 वर्ग मीटर तक	65	4.00	15	15
2	ग्रुप हाउसिंग योजना, रैन बसेरा	50	3.00	30	21
3	औद्योगिक भवन	60	1.0	18	12
4	व्यवसायिक भवन—				
(i)	व्यवसायिक केन्द्र, शॉपिंग मॉल्स, सुविधा (Convenient) शॉपिंग केन्द्र, होटल	40	2.50	30	21
(ii)	बैंक, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स	40	1.50	24	18
(iii)	वेयर हाउस, गोदाम	60	1.50	24	18
(iv)	दुकानें एवं मार्केट	60	1.50	15	10
5	संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन—				
(i)	समस्त उच्च शिक्षण संस्थान, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज आदि	50	1.50	24	15
(ii)	हायर सेकंडरी, प्राइमरी, नर्सरी, स्कूल, क्रेच सेन्टर आदि।	50	1.50	24	15
(iii)	हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, चिकित्सालय, लैब नर्सिंग होम आदि	75	2.50	24	15
6	धर्मार्थ अथवा जन-हितार्थ भवन—	50	1.20	15	10
(i)	सामुदायिक केन्द्र, क्लब, बारात घर, जिमखाना, अग्निशमन केन्द्र, डाकघर, पुलिस स्टेशन	30	1.50	15	10
(ii)	धर्मशाला, लॉज, अतिथि गृह, हॉस्टल	40	2.50	15	10
(iii)	धर्मकांटा, पेट्रोल पम्प, गैस गोदाम, शीतगृह	40	0.50	10	6
7	कार्यालय भवन—	40	2.00	30	15
	सरकारी, अर्धसरकारी, कॉर्पोरेट एवं अन्य कार्यालय भवन				
8	क्रीडा एवं मनोरंजन कॉम्प्लेक्स, शूटिंग रेंज, सामाजिक एवं सांस्कृतिक केंद्र	20	0.40	15	10
9	नर्सरी	20	0.50	6	6
10	बस स्टेशन, बस डिपो, कार्यशाला	30	2.00	15	12
11	फार्म हाउस	10	0.15	10	6
12	डेयरी हाउस	10	0.15	10	6
13	मुर्गा, सुअर, बकरी फार्म	20	0.30	6	6
14	ए0टी0एम0	100	1.00	6	6

(छ) सेटबैक (Set-back)

क्रम सं०	भू-खण्ड का क्षेत्रफल	सामने (Front)	साईड (Side)	पीछे (Rear)	लैंड स्केपिंग (Land Scaping)	खुला स्थान
1	2	3	4	5	6	7
	वर्गमीटर—	मीटर—	मीटर—	मीटर—		प्रतिशत
1	150 तक	3.0	0.0	1.5	एक वृक्ष प्रति 100 वर्ग मीटर	25
2	151—300 तक	3.0	0.0	3.0	तदैव	25
3	301—500 तक	4.5	3.0	3.0	“	25
4	501—2000 तक	6.0	3.0	3.0	“	25
5	2001—6000 तक	7.5	4.5	6.0	“	25
6	6001—12000 तक	9.0	6.0	6.0	“	25
7	12001—20000 तक	12.0	7.5	7.5	“	25
8	20001—40000 तक	15.0	9.0	9.0	“	25
9	40001 से अधिक	16.0	12.0	12.0	“	25

(ज) पार्किंग स्थान

क्रम सं०	भवन/भू-खण्ड	पार्किंग स्थान ECU (Equivalent Car Unit)
1	2	3
1	ग्रुप हाउसिंग योजना	एक ECU प्रति 80 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
2	संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन	एक ECU प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
3	औद्योगिक भवन	एक ECU प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
4	व्यवसायिक भवन	एक ECU प्रति 30 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
5	सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र	एक ECU प्रति 50 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
6	लॉज, अतिथि गृह, हॉस्टल	एक ECU प्रति 2 अतिथि रुम के लिए
7	हॉस्पिटल, नर्सिंग होम	एक ECU प्रति 65 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
8	सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	एक ECU प्रति 15 सीट्स
9	आवासीय भवन	एक ECU प्रति 150 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का

(झ) अग्निशमन पद्धति, अग्नि सुरक्षा एवं सर्विसेस

1— तीन मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों और विशिष्ट भवन यथा-संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन, व्यवसायिक भवन, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स 400 वर्ग मीटर से अधिक भू-आच्छादन के भवन में अग्नि निकास हेतु एक जीना बाहर की दीवार पर एवं अग्नि सुरक्षा के अन्य सभी प्रावधान करने होंगे। भवन के चारों तरफ बाउन्ड्री दीवार के साथ-साथ 6 मीटर चौड़ा मार्ग का प्रावधान करना होगा। जिसमें दमकलों के चालान हेतु कम से कम 4 मीटर चौड़ाई का परिवहन मार्ग (Carriage Way) होगा।

2— अग्नि निकाय जीने की न्यूनतम चौड़ाई 1.20 मीटर, ट्रेड की न्यूनतम चौड़ाई 28 सेमी0, राईजर अधिकतम 19 सेमी0, एक फ्लाइंग में अधिकतम राईजरों की संख्या 16 तक सीमित होगी।

3— अग्नि निकास जीने तक पहुँच दूरी 15 मीटर से अधिक न होनी चाहिये।

4— घुमावदार अग्नि निकास जीने का प्रावधान 10 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों में नहीं किया जायेगा।

5— उपरोक्त भवनों हेतु अग्नि शमन विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी।

6— उपरोक्त भवनों में उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, (6) 2005 एवं राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) 2005 भाग-4 के अनुसार प्रावधान किया जायेगा, जैसे— स्वचालित स्प्रिंकलर पद्धति, फर्स्ट एड, होज रील्स, स्वचालित अग्नि संसूचक और चेतावनी पद्धति, सार्वजनिक संबोधन व्यवस्था, निकास मार्ग के संकेत चिन्ह, फायर मैन स्विच युक्त फायर लिफ्ट, वेट राइजर डाउन कॉर्नर सिस्टम आदि।

(ज) इलेक्ट्रिक लाईन से दूरी

क्रमांक	विवरण	उध्वाकार दूरी	क्षैतिज दूरी
1	2	3	4
		मीटर—	मीटर—
1	लो एण्ड मीडियम वोल्टेज लाईन तथा सर्विस लाईन	2.4	1.2
2	हाई वोल्टेज लाईन 33000 वोल्टेज तक	3.7	1.8
3	एकस्ट्रा हाई वोल्टेज लाईन	3.7 + (0.305m)	1.8 + (0.305m)
		प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर	प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर

(ट) मोबाइल टावर की स्थापना

1— अनधिकृत रूप से निर्मित भवन पर टावर का निर्माण अनुमत्य नहीं होगा।

2— शैक्षणिक संस्थान, हॉस्पिटल, अधिक घनत्व वाली आवासीय बस्ती अथवा धार्मिक भवन/स्थल आदि पर या इनके 100 मीटर के दायरे में मोबाइल टावर की स्थापना नहीं की जायेगी।

3— मोबाइल टावर की स्थापना हेतु भवन स्वामी एवं आवासीय कल्याण समिति (RWA) की अनापत्ति प्रस्तुत करनी होगी।

4— सेवा आपरेटर द्वारा टावर का निर्माण कार्य किये जाने से पूर्व काउंसिल आफ आर्कटेक्चर में पंजीकृत एवं अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा प्रस्तावित निर्माण का मानचित्र इस प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा कि प्रस्तावित टावर प्रत्येक दृष्टि से सुरक्षित है, भवन जिस पर टावर निर्मित किया जाना है, (यदि ऐसा हो तो) भी टावर के साथ सुरक्षित है तथा प्रस्तावित कक्ष जिसका कुल क्षेत्रफल 60 वर्गमीटर से अनधिक होगा, भवन निर्माण उपविधियों के अन्तर्गत है। स्ट्रक्चरल सेफ्टी मानकों के आधार पर भवन की सुदृढ़ता के सम्बन्ध में अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर के स्थान पर आई0आई0टी0 तथा इसके समकक्ष संस्थान, लोक निर्माण विभाग, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग आदि सरकारी संस्थाओं से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।

5— टावर हेतु अनुज्ञा, भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा लाईसेंस प्राप्त सेलुलर मोबाइल/बेसिक टेलीफोन सेवा आपरेटरों को ही प्रदान की जायेगी।

6— जनरेटर केवल "साईलेंट" प्रकृति के होंगे तथा भू-तल पर ही लगाये जायेंगे।

7— यदि टावर का निर्माण भवन की छत पर किया जाता है तो टावर का निचला भाग भवन की छत से न्यूनतम 3 मीटर ऊपर होना चाहिये।

8— जहाँ अपेक्षित हो, वहाँ टावर के निर्माण से पूर्व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया/वायुसेना का अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

9— सेवा ऑपरेटर कम्पनी एवं भवन स्वामी को संयुक्त हस्ताक्षर से इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि टावर निर्माण के फलस्वरूप आस-पास के भवनों को एवं जान-माल को किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का समस्त दायित्व सम्बन्धित कम्पनी और भवन स्वामी का होगा।

10— सेवा प्रदाता द्वारा टावर में जनसामान्य का प्रवेश वर्जित करने के लिए समुचित उपाय यथा वायर फेंसिंग, भवनों की छतों पर जाने वाले दरवाजों पर ताला आदि के प्रावधानों के साथ टावर परिसर के प्रवेश द्वार पर, उचित स्थान पर चेतावनी सूचक साइन बोर्ड लगाना होगा, जिसमें 'खतरा', 'आर0एफ0 विकिरण', 'कृपया प्रवेश न करें' लिखा होगा।

11— इलैक्ट्रोमैग्नेट वेव्स, रेडियों विकिरण, वायब्रेशन (कम्पन) आदि के रूप में होने वाले दुष्परिणामों के नियन्त्रण हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा अन्य शासकीय अभिकरण द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

12— अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने के लिए प्रथम बार शुल्क के रूप में रु0 50,000.00 (पचास हजार मात्र) यह शुल्क एक वर्ष की अवधि के लिए होगा।

13— अनुज्ञा-पत्र के नवीनीकरण के लिए प्रथम बार लिए गये शुल्क का 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष जमा कराना होगा। उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई विकास शुल्क आदि नहीं लिया जायेगा।

नक्शा स्वीकृति की दरें (कृपया देखें भाग-छ)

1— शुल्क उपनियम-4 में दर्शाया गया मानचित्र पर निम्न शुल्क अदा करना होगा—

क्रम सं०	भवन/भू-खण्ड का प्रकार	भू-तल प्रति वर्ग फिट	अतिरिक्त तल प्रति वर्ग फिट
1	2	3	4
		रुपये—	रुपये—
1	निवासी भवन (कवर्ड एरिया)	10.00	8.00
2	निवासी भवन (ओपन एरिया)	6.00	3.00
3	व्यवसायिक भवन दुकान (कवर्ड एरिया)	20.00	15.00
4	व्यवसायिक भवन दुकान (ओपन एरिया)	10.00	8.00
5	वर्कशाप, फैक्ट्री, कारखाना आदि	20.00	15.00
6	वर्कशाप, फैक्ट्री, कारखाना आदि	15.00	10.00

2- (क)- **भूमि की प्लॉटिंग**— भूमि को योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न आकार के प्लॉटों में बांटना।

(ख)- **भूमि विकास**— भूमि पर योजनाबद्ध तरीके से पार्क, उद्यान बनाना, फार्म हाउस विकसित करना, नर्सरी लगाना, बारात घर/बैंक्वेट हॉल आदि।

(ग)- **भूमि का उपयोग**— भूमि का विभिन्न प्रकार के सामानों के भण्डारण हेतु प्रयोग करना, जैसे— निर्माण सामग्री, कंटेनर, ईंधन, आर0सी0सी0 पाईप आदि।

(घ)- किसी परियोजना का ले-आउट प्लान (तलपट मानचित्र)।

रु0 8.00 (आठ मात्र) प्रति वर्ग फुट होगी।

3- पुराने भवन को ध्वस्त करने के पश्चात् पुनः निर्माण करने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों के समान होगी।

4- स्वीकृत भवन के नक्शे में संशोधन होने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों की एक चौथाई होगी।

5- बेसमेंट, स्टिल्ट, पोडियम, सेवा क्षेत्र व अन्य आच्छादित क्षेत्र की, अनुज्ञा शुल्क में गणना की जायेगी।

6- अनुज्ञा प्रमाण-पत्र की अवधि 3 वर्ष होगी, यदि स्वीकृति के नवीनीकरण का आवेदन, अनुज्ञा अवधि समाप्ति से पूर्व किया जाता है तो नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 20 प्रतिशत होगी। एक बार में अनुज्ञा की अवधि दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अनुज्ञा अवधि समाप्ति के पश्चात् नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 20 प्रतिशत वार्षिक होगी।

7- उपविधियों के अनुसार, नगर पंचायत से नक्शों की स्वीकृति के बिना निर्माण करने, किसी भूमि पर व्यवसाय करने, स्वीकृत नक्शे से इतर निर्माण करने अथवा भू-खण्ड विकसित करने पर या इन उपविधियों की किसी उपविधि/उपविधियों का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड के रूप में समझौता शुल्क (Compounding Fees) रोपित किया जायेगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) प्रस्तावित भवन अथवा ले-आउट प्लान (तलपट मानचित्र) पर परिस्थिति अनुसार, कुल शुल्क की गणना का कम से कम 20 प्रतिशत से अधिकतम 50 प्रतिशत अतिरिक्त होगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) विभाग में जमा होने के उपरान्त पूर्व में निर्मित भवन के नक्शों की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। समझौते की कार्यवाही उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-199 से होगी।

8- पूर्णता प्रमाण-पत्र (Completion Certificate) जारी करने हेतु (सभी तलों के कुल अच्छादित क्षेत्रफल पर) दरें रु0 40.00 (रु0 चालीस मात्र) प्रति वर्ग मीटर होगी।

9- चार दिवारी/बाउन्ड्री वाल स्वीकृति की दरें रु0 20.00 (रु0 बीस मात्र) प्रति वर्ग मीटर होगी।

10- उपरोक्त दरों में प्रत्येक 5 वर्ष बाद 10 प्रतिशत की वृद्धि स्वतः ही हो जायेगी।

11- न0पं0 महोना द्वारा पूर्व में स्वीकृत नक्शों, जिन पर अभी कार्य चल रहा हो या प्रारम्भ होने वाला हो के लिए नवीनीकरण की दरें 50 प्रतिशत होगी।

नोट— (शुल्क निर्धारण हेतु भवन के सभी तलों पर फर्श के कुल क्षेत्रफल, कुल आच्छादित क्षेत्रफल सहित गणना करनी होगी)।

(ठ) अनुज्ञा-पत्र जारी करने की प्रक्रिया

1- स्वामी द्वारा आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तावित भवन/परियोजना के नक्शे एवं स्वामित्व के भू-अभिलेख अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत महोना, के कार्यालय में जमा किये जायेंगे एवं आवेदन को इस प्रस्तुतिकरण की दिनांकित पावती दी जायेगी।

2- ऐसे आवेदन-पत्र एवं उसके साथ संलग्नकों को अधिशासी अधिकारी तत्काल लेखपाल, तहसीलदार के माध्यम से भू-अभिलेखों के परीक्षण हेतु पृष्ठांकित करेंगे।

3— लेखपाल ऐसे प्राप्त आवेदन पर उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण करके अधिकतम एक सप्ताह में सम्बन्धित अभिलेख अधिशासी अधिकारी को प्रस्तुत कर देगा।

4— लेखपाल से प्राप्त आख्या को अधिशासी अधिकारी तत्काल अवर अभियंता, नगर पंचायत को पृष्ठांकित कर देगा।

5— अवर अभियंता द्वारा स्थल की सर्वेक्षण आख्या प्रस्तुत करने के उपरांत सर्वेक्षण आख्या का परीक्षण किया जायेगा। परियोजना के नक्शों की स्वीकृति हेतु अवर अभियंता से एक अंतरिम शुल्क की गणना करके अधिशासी अधिकारी को सूचित किया जायेगा। आवेदक द्वारा आगणित अन्तरिम शुल्क की 20 प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप से नोटिस प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय नगर पंचायत महोना में जमा करनी होगी। इसके उपरान्त ही नक्शे के विषय में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। प्रतिबंध यह है कि नक्शा पारित होने के स्तर पर आवेदक मांग-पत्र के अनुसार निर्धारित अवधि में यदि शुल्क जमा करता है, तो उक्त धनराशि समायोजित (Adjust) हो जायेगी। अन्यथा की दशा में जमा धनराशि जब्त हो जायेगी।

6— नगर पंचायत के अभियंता द्वारा परियोजना की संभाव्यता (Possibility), सुगमता (Convenience), साध्यता (Feasibility), तकनीकी जांच व नगर पंचायत भवन उपविधि में तकनीकी प्रावधानों एवं नक्शों का परीक्षण किया जायेगा। आवश्यकता समझने पर नक्शों में संशोधन हेतु आवेदनकर्ता को निर्देशित किया जायेगा।

7— अवर अभियंता द्वारा परियोजना तकनीकी दृष्टि से सुस्थित (Sound) पाये जाने पर अपनी तकनीकी आख्या अधिशासी अधिकारी को अधिकतम 15 दिन में प्रस्तुत करनी होगी। अवर अभियंता से आगणित शुल्क की धनराशि का विवरण प्रतिपरीक्षण (Cross Verification) कराके तकनीकी आख्या के साथ संलग्न करना होगा।

8— अधिशासी अधिकारी उक्त आख्या प्राप्त होने पर लेखपाल एवं अवर अभियंता द्वारा प्राप्त आख्याओं का परीक्षण करके आवेदक को शुल्क जमा करने का मांग-पत्र जारी करेंगे। जिसमें आवेदक को शुल्क जमा करने के लिये एक माह का समय दिया जायेगा।

9— आवेदक द्वारा नक्शा शुल्क निर्धारित समय में जमा कराना होगा। नगर निधि की रोकड़ बही में शुल्क की प्रविष्टि के उपरांत अधिशासी अधिकारी द्वारा नक्शे की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

10— उपरोक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् अध्यक्ष, नगर पंचायत की स्वीकृति उपरान्त आवेदक को अनुज्ञा-पत्र अभियंता व अधिशासी अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से आवश्यक शर्तों के साथ जारी किया जायेगा। नक्शों पर अवर अभियंता, अधिशासी अधिकारी एवं अध्यक्ष, के संयुक्त हस्ताक्षर से स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

11— यदि नगर पंचायत द्वारा आवेदन प्राप्ति के दो माह के भीतर आवेदक को कोई सूचना अथवा शुल्क का मांग-पत्र जारी नहीं किया जाता है तो आवेदक द्वारा निर्धारित दो माह की अवधि के समाप्ति के दिनांक 20 दिन के भीतर प्रकरण अधिशासी अधिकारी के संज्ञान में लिखित रूप से लाया जायेगा। यदि इस पर भी अधिशासी अधिकारी 10 दिन में कोई कार्यवाही नहीं करता है, तो पूर्व में प्रस्तुत नक्शा एवं निर्माण की स्वीकृति मानित स्वीकृति (Deemed Sanction) मानी जायेगी।

विवाद— उक्त कार्यवाही में किसी विवाद होने की दशा में या स्वीकृत नक्शा किन्हीं कारणों से निरस्त होने की दशा में या ऐसी कार्यवाही उत्पन्न होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रकरण नगर पंचायत को संदर्भित किया जायेगा। जिसमें उनको अपना अनुदेश ऐसे प्रकरण की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर देना होगा एवं उनका ये आदेश उभयपक्षों पर बन्धनकारी होगा।

(ण) सामान्य अनुदेश (General Instructions)

1— भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार या पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक, इमारत या स्थल के 200 मीटर के दायरे में निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी। 200 मीटर से 1.50 किलोमीटर के दायरे में उपविधियोंनुसार निर्माण हेतु मंजिलों एवं ऊंचाई की अनुमति, तत्समय आवश्यक और उचित कारण सहित दी जा सकेगी।

2— प्रस्तावित भू-खण्ड की सीमा से बाहर किसी भी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी।

3— भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking), वाहन पार्किंग, बेसमेंट वाहन पार्किंग, भण्डारण व सुविधाओं के रख-रखाव व सेवा तल भण्डारण व सुविधाओं के रख-रखाव इत्यादि हेतु उपयोग किया जाए, तो इनका क्षेत्रफल फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) में शामिल नहीं होगा।

4— निकटतम हवाई अड्डा, चाहें विमानापत्तन प्राधिकरण (Airport Authority) द्वारा नियन्त्रित हो या रक्षा विभाग अथवा अन्य शासकीय विभाग द्वारा नियन्त्रित हो, के 5 किलोमीटर की परिधि में 30 मीटर से ऊँचे भवन के आवेदनकर्ता को उक्त वर्णित प्रतिष्ठानों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना होगा।

5— उपरोक्त उपविधि में सभी बातों के होते हुए भी नगर पंचायत यदि उचित व आवश्यक समझे तो, कारणों का उल्लेख करते हुए किसी भवन में भू-आच्छादन, प्लोर एरिया रेशियो (FAR) अथवा अधिकतम ऊँचाई में परिवर्तन कर स्वीकृति प्रदान कर सकती है।

6— उपविधियों में दी गयी सूची में उल्लिखित भवनों के अतिरिक्त भवनों एवं गतिविधियों के लिए नियमों व विनियमों का निर्धारण नगर पंचायत द्वारा, इस प्रकार के समकक्ष (Similar) भवनों एवं गतिविधियों के लिए निर्धारित उपविधियों के अनुसार किया जायेगा।

7— मल्टी लेवल पार्किंग में संरचनात्मक एवं सुरक्षा की शर्तों के अधीन अधिकतम दो बेसमेंट अनुमन्य होंगे।

8— इन उपविधियों के अधीन जारी अनुज्ञा, जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध एवं मान्य होगी।

9— इन उपविधियों का पालन न करने की दशा में नगर पंचायत द्वारा सम्बन्धित उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध सी0आर0पी0सी0 की धारा-133 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

(त) अनुज्ञा की शर्तें

(क)— अनुज्ञा-पत्र जारी होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आया कि भवन निर्माण नक्शे की स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी हैं अथवा उसके द्वारा गलत विवरण दिया गया है, तो नगर पंचायत द्वारा दी गयी। नक्शे की स्वीकृति निरस्त की जा सकती है, किया गया निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील (Seal) किया जा सकता है।

(ख)— अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत को अधिकार होगा कि वह अभियंता की संस्तुति पर, पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा प्रस्तुत नक्शे में संशोधन अथवा परिवर्तन कर दें अथवा यथारूप स्वीकार कर दें।

(ग)— पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा तैयार एवं हस्ताक्षरित नक्शे ही मान्य होंगे। परियोजना का डिजाईन वास्तुविद् के अधीन कार्य करने वाले योग्य अभियंता द्वारा कराया जायेगा।

(घ)— कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म या संस्था, राजकीय विभाग अथवा ठेकेदार आदि द्वार प्रस्तावित मानचित्र नगर पंचायत से स्वीकृत होने के बावजूद अन्य उन सभी विभागों से जिनसे लाईसेंस या अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक है, उनसे लाईसेंस/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(ङ)— शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का पालन आवेदनकर्ता/मालिक को करना होगा।

(च)— निर्माण के दौरान अथवा स्वीकृति के समय अधिशासी अधिकारी को किसी भी प्रमाण-पत्र (तकनीकी एवं प्रशासनिक) की आवश्यकता पड़ने पर आवेदनकर्ता को प्रस्तुत करना होगा।

दण्ड

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-299 (1) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत महोना, लखनऊ यह निर्देश देती है, कि जो भी स्वामी इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थ-दण्ड से दण्डनीय होगा। जो अंकन रु0 1,000.00 तक होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये के अपराधी अपराध करता रहा है, रुपये 25.00 प्रतिदिन हो सकेगा।

निरसन

भवन निर्माण उपविधियों के नगर पंचायत महोना, लखनऊ के क्षेत्र में प्रभावी होने के दिनांक से पूर्व प्रचलित उपविधियाँ निरस्त हो जायेगी एवं पूर्व में स्वीकृत भवन मानचित्र वैध माने जायेंगे।

जियाउर्रहमान,

अध्यक्ष,

नगर पंचायत महोना,

जनपद-लखनऊ।

कार्यालय, नगर पंचायत नरपतनगर दूदावाला, जनपद-रामपुर

नगरीय भवन निर्माण एवं मानचित्र स्वीकृति उपविधि-2025

09 फरवरी, 2026 ई0

सं0 596/न0पं0न0दू0/2025-26-नगर पालिका अधिनियम, 1916 (यू0पी0 एक्ट सं0 02, 1916) की धारा-298 (2)(क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नगर पंचायत नरपतनगर दूदावाला, जनपद-रामपुर द्वारा अपनी सीमा में "नगरीय भवन निर्माण एवं मानचित्र स्वीकृति उपविधि 2025" सम्बन्धित उपविधि बनायी गयी है, जिसे नगर पंचायत नरपतनगर दूदावाला की बोर्ड की बैठक दिनांक 11 सितम्बर, 2025 के प्रस्ताव सं0 02 के द्वारा अनुमोदित किया गया है। अनुमोदित उपविधि को उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-300(1) के अनुसार कार्यालय के पत्रांक सं0 313/न0पं0न0दू0/2025-26 दिनांक 04 नवम्बर, 2025 के क्रम में दैनिक समाचार-पत्र हिन्दुस्तान व प्रातः किरण के अंक में इस आशय से उक्त व्यक्तियों के लिये प्रकाशन कराया गया था जिन पर इस नियमावली का प्रभाव पड़ने वाला है या पड़ने की संभावना है वह व्यक्ति अपनी आपत्ति/सुझाव प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर कार्यालय नगर पंचायत नरपतनगर दूदावाला, जनपद-रामपुर को प्रस्तुत कर सकते थे परन्तु प्रकाशन के उपरान्त नियत समय तक किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत नरपतनगर दूदावाला को प्राप्त नहीं हुआ। आपत्ति/सुझाव प्राप्त न होने की दशा में अनुमोदित नियमावली को बिना कोई संशोधन किये नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-301 के उपखण्ड-दो के अनुसार सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है।

अ- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

1- यह उपविधि नगर पंचायत नरपतनगर दूदावाला, जनपद-रामपुर की "नगरीय भवन निर्माण एवं मानचित्र स्वीकृति उपविधि-2025" कहलायेगी।

2- यह उपविधि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 के अन्तर्गत संशोधित होने की तिथि तक प्रभावी रहेगी एवं किसी भी प्रकार का संशोधन स्थानीय समाचार-पत्र में पर्याप्त नोटिस/सूचना देकर प्रकाशित किया जायेगा।

ब- लागू होना-

1- यह उपविधि उत्तर प्रदेश गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से नगर पंचायत नरपतनगर दूदावाला, जनपद-रामपुर (भविष्य में विस्तारण के फलस्वरूप संशोधित सीमायें इसमें सम्मिलित मानी जायेंगी) में लागू होगी एवं नगर पंचायत नरपतनगर दूदावाला, जनपद-रामपुर की सीमा में प्रत्येक स्वामित्व वाले परिसर से सम्बन्धित व्यक्तियों पर लागू होगी।

स- परिभाषा- जब तक इस विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधि एवं परिशिष्ट में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषायें निम्नवत हैं-

- 1- "अधिनियम" से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है।
- 2- "नगर पंचायत" से तात्पर्य नगर पंचायत नरपतनगर दूदावाला, जनपद-रामपुर से है।
- 3- "अधिशाली अधिकारी" से तात्पर्य नगर पंचायत नरपतनगर दूदावाला के अधिशाली अधिकारी से है।
- 4- "प्रशासक/अध्यक्ष" से तात्पर्य नगर पंचायत नरपतनगर दूदावाला के प्रशासक/अध्यक्ष से है।
- 5- "भूमि/भवन" से तात्पर्य नगर पंचायत की सीमा में भूमि/भवन से है।
- 6- "बोर्ड/समिति" का तात्पर्य नगर पंचायत नरपतनगर दूदावाला, जनपद-रामपुर के बोर्ड/समिति से है।

नगरीय भवन निर्माण एवं मानचित्र स्वीकृति उपविधि-2025

यह कि नगर पंचायत नरपतनगर दूदावाला, जनपद-रामपुर की सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत नरपतनगर दूदावाला से भवन के मानचित्र स्वीकृति के उपरान्त ही किसी भवन में निर्माण/मरम्मत/संशोधन/विलोपन कर सकेगा।

1— नगर पंचायत नरपतनगर दूदावाला से स्वीकृति हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी होगी—

अ— आवेदक को स्वीकृति चाहने हेतु एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना होगा जो कि 100.00 रु0 के स्टाम्प पेपर पर होगा।

ब— इस आवेदन पत्र के साथ आवेदक को स्वीकृति हेतु दो मानचित्र मय सीमा के प्रस्तुत करने होंगे। इन मानचित्रों का पूर्ण विवरण दिया जायेगा तथा यह भी दर्शाया जायेगा कि बनाने से पूर्व भूमि की क्या दशा है और भूमि का कितना क्षेत्रफल है।

स— आवेदक मानचित्र के साथ एक प्रमाण-पत्र इस आशय का प्रस्तुत करेगा कि यह भूमि जहाँ वह निर्माण कार्य करना चाहता है उसकी अपनी है एवं उसका ब्यौरा प्रस्तुत करेगा। मानचित्र में भू-खण्ड की चौहद्दी के साथ-साथ भू-खण्ड के चारों ओर के भवन स्वामियों के नाम दर्शाने अनिवार्य होंगे।

द— आवेदक आवेदन पत्र में निर्माण का विवरण देते हुए यह स्पष्ट करेगा कि वह खाली भूमि पर भवन का नव निर्माण या वर्तमान भवन में मरम्मत या फेर बदल या ऊपरी भाग का पूर्ण नव निर्माण करना चाहता है।

य— आवेदक जिस ड्राफ्ट मैन्/आर्किटेक्ट से मानचित्र बनवायेगा उसी से उस भवन की अनुमानित लागत का स्टीमेट लेकर भी प्रस्तुत करेगा।

र— दो मानचित्र ग्राफ पेपर या ब्लू प्रिन्ट होंगे और एक तीसरा मानचित्र ट्रेसिंग पेपर पर होगा।

ल— आवेदक आवेदन पत्र के साथ लोक निर्माण विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करेगा।

2— भवन निर्माण की शर्तें—

क— इस प्रकार का कोई जंगला या खिड़की नहीं लगायी जायेगी, जिससे कि पड़ोस में रहने वाले को परेशानी हो।

ख— भवन में फ्लश शौचालय बनवाना अनिवार्य होगा बिना फ्लश शौचालय के मानचित्र की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

ग— भवन की नालियों सीमेन्ट कंक्रीट द्वारा मजबूत व पक्की बनायी जायेंगी तथा सार्वजनिक नालियों से इनका जुड़ा होना आवश्यक होगा तथा वर्षा के पानी को छतों से उतारने हेतु पाईप लगाने होंगे।

घ— सार्वजनिक मार्ग या सार्वजनिक नाली पर किसी भी प्रकार प्रोजेक्शन स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

ङ— भू-तल पर सड़क की ओर रहने वाले दरवाजे (किवाड़) भीतर की ओर खुलेंगे।

च— सामान्य निर्माण अपेक्षाओं, संरचना की स्थिरता और नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के भाग-4 के अनुसार अग्नि सुरक्षा की अपेक्षाओं विषयक उपविधियों का उल्लंघन न होने पर निम्नलिखित कार्य के लिए भवन निर्माण अनुज्ञा आवश्यक नहीं होगी परन्तु विद्यमान भवन का पुनर्निर्माण, परिवर्तन एवं परिवर्धन जिसमें संरचनात्मक परिवर्तन यथा— कालम, बीम का निर्माण, नई लोड वायरिंग, दीवार का निर्माण, नई स्लैब डालना आदि निहित हो में नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के भाग-4 के अनुसार अग्नि सुरक्षा का पालन अनिवार्य होगा।

छ— नियमानुसार अग्निशामन प्राविधान सुनिश्चित करना होगा।

ज— नवनिर्मित होने वाले भवन नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के भाग-3 व 4 की अपेक्षानुसार अग्नि से सुरक्षा सुनिश्चित करते हुये नियोजित अभिकल्पित और निर्मित होंगे तथा इन भवनों में उ0प्र0 अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा नियमावली, 2005 के नियम-4 की अपेक्षानुसार अग्नि सुरक्षा हेतु आवश्यक प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा।

झ— भवन स्वामी को अपने वाहनों की पार्किंग हेतु भवन में खाली स्थान छोड़ना अनिवार्य होगा। किसी भी दशा में वाहन को नगर के किसी भी मार्ग व सड़क पर पार्क नहीं किया जायेगा।

स्वीकृति की विधि

3— जब आवेदक मय नक्शों के प्रार्थना-पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करेगा, तब सर्व प्रथम उसका इन्द्राज रजिस्टर में किया जायेगा। जिसमें कर समाहर्ता इस प्रकार की रिपोर्ट देगा कि इस भूमि या भवन का स्वामी हमारे रिकार्ड में इन्द्राज है अथवा नहीं तथा उस पर नगर पंचायत नरपतनगर दूदावाला का कोई किसी प्रकार का टैक्स आदि अवशेष नहीं है।

4— कार्यालय की रिपोर्ट के पश्चात् यह आवेदन पत्र मय नक्शों अवर अभियन्ता को जाँच हेतु भेज दिया जायेगा जो कि मौके पर स्वयं जाकर अथवा अपने द्वारा नामित तकनीकी कर्मचारी को मौके पर भेजकर भूमि तथा प्लॉट का मिलान करेंगे और सही पाये जाने पर अपनी रिपोर्ट इस प्रकार देंगे कि मानचित्र के मुताबिक नियमानुसार/अद्यतन शासनादेशानुसार निर्माण उचित है। स्वास्थ्य के दृष्टि से गन्दे पानी की निकासी की उचित व्यवस्था है और इस निर्माण की आज्ञा देने में नगर पंचायत नरपतनगर दूदावाला की संपत्ति/शासकीय सम्पत्ति की किसी प्रकार की हानि नहीं है। भवन निर्माण पर कोई शिकायत प्राप्त होने एवं सम्पत्ति विवादित होने की स्थिति में उसकी स्थलीय व अभिलेखीय जाँच सम्बन्धित तहसील से कराये जाने के पश्चात् ही नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

5— इसके पश्चात् आवेदक को यह अवगत कराया जायेगा कि वह नियमानुसार मानचित्र स्वीकृति शुल्क जमा करवा दें। मानचित्र स्वीकृति शुल्क जमा हो जाने के पश्चात् अधिशासी अधिकारी की संस्तुति के बाद स्वीकृति पत्र आवेदक को दिया जायेगा। इस स्वीकृति के पश्चात् ही आवेदक निर्माण कार्य आरम्भ कर सकता है। आवेदक निर्माण कार्य आरम्भ करने से 24 घण्टे पूर्व नगर पंचायत कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

6— यह स्वीकृति केवल एक वर्ष के लिये मान्य होगी। यदि इस निश्चित अवधि में निर्माण कार्य पूरा नहीं होता है तो आवेदक कारण स्पष्ट करते हुए पुनः नगर पंचायत में अवधि बढ़वाने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करेगा तथा प्रार्थना-पत्र के साथ स्वीकृति पत्र-प्रस्तुत करेगा और जो पूर्व शुल्क जमा किया है उसका) हिस्सा पुनः शुल्क के रूप में जमा करेगा। यह अवधि छः माह से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी। इस 6 माह की अवधि बढ़ाने के लिए अधिशासी अधिकारी सक्षम अधिकारी होगा, यदि विशेष परिस्थितियों में आवेदक इसके पश्चात् भी समय बढ़वाना चाहता है तो यह प्रार्थना-पत्र बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

7— जैसे ही भवन का निर्माण कार्य समाप्त होगा, वैसे ही आवेदक नगर पंचायत नरपतनगर दूदावाला को अवगत करायेगा तथा नगर पंचायत से कम्प्लीशन सर्टीफिकेट प्राप्त करेगा। इसके बाद ही वह भवन रहने योग्य माना जायेगा।

8— भवन निर्माण प्रक्रिया में आवेदक द्वारा मा0 एन0जी0टी0 व सी0 एण्ड डी0 वेस्ट मैनेजमेन्ट नियम-2016 के प्राविधानों का पूर्ण रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।

9— भवन निर्माण के लिए स्वीकृति दरें—

क्रम सं०	भवन	भू-तल शुल्क प्रति वर्ग फुट	अतिरिक्त तल शुल्क प्रति वर्ग फुट
1	2	3	4
		रुपये—	रुपये—
1	व्यावसायिक भवन	5.00	4.00
2	गोदाम	15.00	10.00
3	होटल का विश्रामगृह वर्कशाप, फैक्ट्री, कारखाना	15.00	15.00
4	आवासीय भवन	3.00	2.00
5	भू-खण्ड/प्लॉटिंग एरिया	10.00	—

10— धार्मिक स्थल मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, एवं इसी प्रकार के अन्य धार्मिक स्थलों की स्वीकृति नियमानुसार एवं शासन की अनुमति के पश्चात् ही दी जायेगी, जो निःशुल्क होगी।

11— खाली प्लॉट की यदि बाउण्ड्री बनानी है तो उसके लिए मात्र रु0 2,000.00 शुल्क देय होगा।

12— मानचित्र स्वीकृति का न्यूनतम शुल्क रु0 2,000.00 या उपर्युक्त दरों के आधार पर जो अधिकतम होगा देय होगा।

13— प्लॉटिंग एरिया के आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रफल पर ही शुल्क देय होगा।

14— आवेदक यदि मानचित्र स्वीकृति हो जाने के पश्चात् कोई परिवर्तन करना चाहता है तो पुनः दूसरा मानचित्र तथा पहला स्वीकृत मानचित्र जिस पर स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, प्रस्तुत करेगा तथा उपरोक्त अंकित शुल्क का 1/2 भाग जमा करेगा।

15— स्वीकृति देने के बाद यदि बोर्ड जनहित में उक्त स्वीकृति को रद्द करना उचित समझता है तो पूरे कारण को स्पष्ट करते हुये भू-स्वामी को नोटिस देकर स्वीकृति को रद्द कर सकता है, जिसकी अपील 30 दिन की मियाद के अन्दर जिलाधिकारी-रामपुर के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है।

दण्ड

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-299(1) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत नरपतनगर दूदावाला, जनपद-रामपुर यह निर्देश देती है कि उपरोक्त उपविधि के किसी अनुच्छेद के उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड दिया जायेगा जो 2,000.00/(दो हजार रुपये मात्र) तक हो सकता है। यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहता है तो रु0 100.00 (एक सौ रुपये मात्र) प्रतिदिन अतिरिक्त अर्थ दण्ड दिया जा सकता है।

नोट— यह उपविधि उत्तर प्रदेश गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

खालिद अली,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत नरपतनगर दूदावाला,
जनपद-रामपुर।

कालीचरण विद्यालय हाईस्कूल इन्डाऊमेंट ट्रस्ट**हरदोई रोड, चौक लखनऊ**

05 जनवरी, 2026 ई०

सं० KCVET/943/2025-26 कालीचरण विद्यालय हाईस्कूल इन्डाऊमेंट ट्रस्ट लखनऊ के प्रबन्ध समिति के सदस्यों का मनोनयन Government of United Provinces के Notification में निर्दिष्ट प्रावधान नं० 802-XV/251 दिनांक 22 जून 1912 के संशोधित Notification, Government of United Provinces Education (A) Department No. A-6035/XV-666-47 Dated Lucknow July 11, 1947 के अनुसार किया जाना है। उक्त ट्रस्ट के संचालन हेतु प्रबन्ध समिति का गठन गजट में प्रकाशन की तिथि से आगामी 03 वर्षों के लिए 2 (B) व (C) के अनुसार किया जाता है।

2- (A) पदेन सदस्य:

1. जिलाधिकारी लखनऊ—अध्यक्ष
2. जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ।

(B) अन्य सदस्य:**(i) श्री चन्द्र प्रकाश गर्ग, उद्योगपति**

पुत्र स्व० रामशरण गर्ग
466/41, पीर बुखारा, हरदोई रोड,
चौक, लखनऊ।

(ii) प्रो० एम०पी० सिंह, पूर्व प्रतिकुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय तथा भूगर्भ शास्त्री

पुत्र स्व० एन० पी० सिंह
1-24/बी०, अलीगंज लखनऊ।

(iii) 1. श्री नवनीत सहगल, आई०ए०एस०

पुत्र श्री सी० एल० सहगल
फैक्ल्टी ऑफ आर्किटेक्ट ए०के०टी०यू० टैगोर मार्ग, लखनऊ

2. श्री निर्मल कुमार सेठ, वरिष्ठ अधिवक्ता मा० उच्च न्यायालय लखनऊ

पुत्र स्व० के० के० सेठ
1/2, कैसरबाग लखनऊ।

3. श्री अमित टण्डन, सामाजिक कार्यकर्ता

पुत्र स्व० लालजी टण्डन
सोंधी टोला, चौक, लखनऊ।

4. **इं विनोद कुमार मिश्र**, (वी०के० मिश्र) समकक्ष पूर्व अधीक्षण अभियन्ता यू०पी० स्टेट ब्रिज कारपोरेशन

पुत्र स्व० काशीनाथ मिश्र

4/251, विवेक खण्ड, गोमती नगर लखनऊ।

(iv) **श्री संजय सेठ**, सांसद राज्य सभा

पुत्र श्री लवकुश नारायण सेठ

8/1, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ 226001 उ०प्र०

(C) नामित सदस्य: (राज्य सरकार द्वारा नामित एक शिक्षा विशेषज्ञ)

(i) -----रिक्त-----

विशाख जी

अध्यक्ष

कालीचरण विद्यालय हाईस्कूल इन्डारुमेंट ट्रस्ट लखनऊ

जिलाधिकारी लखनऊ।

16 फरवरी, 2026 ई०

सं० KCVET/1012/2025-26-Government of United Provinces के Notification में निर्दिष्ट प्रावधान नं० 802-XV/251 दिनांक 22 जून, 1912 के संशोधित Notification, Government of United Provinces Education (A) Department No. A-6035/XV-666-47 Dated Lucknow July 11, 1947 के अनुसार अध्यक्ष, कालीचरण विद्यालय हाईस्कूल इन्डारुमेंट ट्रस्ट/जिलाधिकारी लखनऊ के पत्रांक KCVET/943/2025-26 दिनांक 05 जनवरी, 2026 के क्रम में गठित कालीचरण विद्यालय हाईस्कूल इन्डारुमेंट ट्रस्ट लखनऊ की प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक 05 फरवरी, 2026 को सम्पन्न हुई। प्रबन्ध समिति की बैठक में सर्वसम्मति से कालीचरण विद्यालय हाईस्कूल इन्डारुमेंट ट्रस्ट लखनऊ के प्रबन्धक के पद पर प्रबन्ध समिति के सदस्य इं० विनोद कुमार मिश्र (वी.के. मिश्र) को नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति गजट में प्रकाशन तिथि से 3 वर्षों के लिए मान्य होगी।

विशाख जी

अध्यक्ष

कालीचरण विद्यालय हाईस्कूल इन्डारुमेंट ट्रस्ट लखनऊ

जिलाधिकारी लखनऊ।

16 फरवरी, 2026 ई०

पत्रांक: KCVET/1013/2025-26 कालीचरण विद्यालय हाईस्कूल इन्डारुमेंट ट्रस्ट लखनऊ द्वारा संचालित कालीचरण डिग्री/पी०जी०कालेज लखनऊ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 व परिनियमावली के परिनियम 13.5 के प्राविधानों के अनुसार एवं मातृ संस्था ट्रस्ट के सदस्यों से, कुल सचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ के पत्रांक AF-563/सम्ब.अनु./2026 दिनांक 13 जनवरी, 2026 कुलपति द्वारा नामित पर्यवेक्षक प्रो० कमल कुमार, राजनीति विज्ञान विभाग, ल०वि०वि० लखनऊ के पर्यवेक्षण में प्रबन्ध समिति का दिनांक 05 फरवरी, 2026 को गठन/निर्वाचन किया गया। यह नवगठित प्रबन्ध समिति गजट में प्रकाशन तिथि से 3 वर्षों के लिए मान्य होगी।

पदेन सदस्यः

1. जिलाधिकारी लखनऊ—अध्यक्ष प्रबन्ध समिति
2. प्राचार्य कालीचरण पी०जी० कालेज लखनऊ।
3. शिक्षक प्रतिनिधि (02) (वरिष्ठता क्रमानुसार एवं चक्रानुसार 01 वर्ष के लिए)
4. शिक्षणेत्तर प्रतिनिधि (01) (वरिष्ठता क्रमानुसार एवं चक्रानुसार 01 वर्ष के लिए)

अन्य सदस्यः

1. श्री संजय सेठ सांसद राज्यसभा
पुत्र श्री लवकुश नारायण सेठ
8/1, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ 226001 उ.प्र.
2. श्री नवनीत सहगल पूर्व अपर मुख्य सचिव
पुत्र श्री सी०एल० सहगल
फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्ट, ए०के०टी०यू० टैगोर मार्ग, लखनऊ।
3. प्रो० एम०पी० सिंह पूर्व प्रतिकुलपति ल०वि०वि० तथा भू-गर्भ शास्त्री
पुत्र स्व० एन०पी० सिंह
124, सेक्टर—बी, अलीगंज लखनऊ।
4. श्री निर्मल कुमार सेठ वरिष्ठ अधिवक्ता मा० उच्च न्यायालय लखनऊ
पुत्र स्व० के०के० सेठ
1/2, कैसरबाग लखनऊ।
5. श्री अमित टण्डन सामाजिक कार्यकर्ता
पुत्र स्व० लालजी टण्डन
सोंधी टोला, चौक, लखनऊ।
6. श्री चन्द्र प्रकाश गर्ग उद्योगपति
पुत्र स्व० रामशरण गर्ग
466/41, पीर बुखारा, हरदोई रोड,
चौक, लखनऊ।
7. इं० विनोद कुमार मिश्र (वी०के० मिश्र) समकक्ष पूर्व अधीक्षण अभियन्ता यू०पी०स्टेट ब्रिज कारपोरेशन, पुत्र स्व० काशीनाथ मिश्र
4/251, विवेक खण्ड गोमतीनगर लखनऊ

- प्रबन्ध समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से इं० विनोद कुमार मिश्र (वी०के० मिश्र) को प्रबन्धक निर्वाचित किया गया।

विशाख जी,
अध्यक्ष/जिलाधिकारी लखनऊ,
कालीचरण पी०जी० कालेज लखनऊ,
कालीचरण विद्यालय हाईस्कूल इन्डाऊमेंट ट्रस्ट लखनऊ।

16 फरवरी, 2026 ई0

सं० KCVET/1014/2025-26-कालीचरण विद्यालय हाईस्कूल इन्डाऊमेंट ट्रस्ट लखनऊ द्वारा संचालित कालीचरण इण्टर कालेज लखनऊ के प्रबन्ध हेतु स्वीकृत प्रशासन योजना में विहित प्राविधान के अनुसार, मातृ संस्था ट्रस्ट के सदस्यों से माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 एवं शासनादेशों के अनुसार, जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ के पत्रांक/मा०/18336-37/2025-26 दिनांक 22 जनवरी, 2026 द्वारा नामित पर्यवेक्षक श्रीमती मनीषा द्विवेदी, सह निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र० लखनऊ के पर्यवेक्षण में प्रबन्ध समिति का दिनांक 05 फरवरी, 2026 को गठन/निर्वाचन किया गया। यह नवगठित प्रबन्ध समिति गजट में प्रकाशन तिथि से 3 वर्षों के लिए मान्य होगी।

पदेन सदस्य:

1. जिलाधिकारी लखनऊ—अध्यक्ष प्रबन्ध समिति
2. प्रधानाचार्य कालीचरण इण्टर कालेज लखनऊ।
3. शिक्षक प्रतिनिधि (02) (वरिष्ठता क्रमानुसार एवं चक्रानुसार 01 वर्ष के लिए)

अन्य सदस्य:

1. श्री संजय सेठ सांसद राज्यसभा
पुत्र श्री लवकुश नारायण सेठ
8/1, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ 226001 उ०प्र०
2. श्री नवनीत सहगल पूर्व अपर मुख्य सचिव
पुत्र श्री सी०एल० सहगल
फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्ट, ए०के०टी०यू० टैगोर मार्ग, लखनऊ।
3. प्र०० एम०पी० सिंह पूर्व प्रतिकुलपति ल०वि०वि० तथा भू-गर्भ शास्त्री
पुत्र स्व० एन०पी० सिंह
124, सेक्टर-बी, अलीगंज लखनऊ।
4. श्री निर्मल कुमार सेठ वरिष्ठ अधिवक्ता मा० उच्च न्यायालय लखनऊ
पुत्र स्व० के०के० सेठ
1/2, कैसरबाग लखनऊ।
5. श्री अमित टण्डन सामाजिक कार्यकर्ता
पुत्र स्व० लालजी टण्डन
सोंधी टोला, चौक, लखनऊ।
6. श्री चन्द्र प्रकाश गर्ग उद्योगपति
पुत्र स्व० रामशरण गर्ग
466/41, पीर बुखारा, हरदोई रोड,
चौक, लखनऊ।
7. इं० विनोद कुमार मिश्र (वी०के० मिश्र) समकक्ष पूर्व अधीक्षण अभियन्ता यू०पी०स्टेट ब्रिज कारपोरेशन पुत्र स्व० काशीनाथ मिश्र
4/251, विवेक खण्ड गोमतीनगर लखनऊ

- प्रबन्ध समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से इं० विनोद कुमार मिश्र (वी०के० मिश्र) को प्रबन्धक निर्वाचित किया गया।

विशाख जी,
अध्यक्ष/जिलाधिकारी लखनऊ,
कालीचरण इण्टर कालेज लखनऊ,
कालीचरण विद्यालय हाईस्कूल इन्डाऊमेंट ट्रस्ट लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम कृतिका दिवाकर (KRITIKA DIWAKAR) पुत्री विनोद कुमार (VINOD KUMAR) है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 9392 5558 1520 में उसका नाम दुर्गा दिवाकर अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम कृतिका दिवाकर (KRITIKA DIWAKAR) पुत्री विनोद कुमार (VINOD KUMAR) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अनीता देवी पत्नी विनोद कुमार ,
निवासिनी ग्राम चरवा पूरब थोक वार्ड नं0-1,
राम विश्राम नगर, नगर पंचायत चरवा,
परगना व तहसील चायल, जनपद कौशाम्बी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आन्या जैन पुत्री अखलेश जैन है जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 7901 2471 5556 में उसका नाम विधि जैन अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को आन्या जैन पुत्री अखलेश जैन के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अखलेश जैन पुत्र श्री प्रसन्न कुमार जैन,
पता- चौबयाना वार्ड नं0-2 नेयजन,
मंदिर के पास तालबेहट ललितपुर उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सुशीला देवी पत्नी भोला नाथ गुप्ता है जो मेरे

निर्वाचन कार्ड परिवार रजिस्टर, बैंक पासबुक, सामान्य निवास प्रमाण पत्र तथा उपजिलाधिकारी की जांच आख्या में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-3321 4650 7969 में मेरा नाम अनारा देवी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सुशीला देवी पत्नी भोला नाथ गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सुशीला देवी पत्नी भोला नाथ गुप्ता,
ग्राम व पोस्ट भमई हुसामगंज दीवानगंज,
परगना सिकन्दरा, तहसील फूलपुर,
जिला प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम युसरा सिद्दीकी पुत्री इरफान अहमद है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-4692 4508 2685 में उसका नाम शमीम बानो अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम युसरा सिद्दीकी पुत्री इरफान अहमद के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

इरफान अहमद पुत्र समसाम अली,
निवासी- 14/520 नई बस्ती उदयगंज,
मुराद अली लेन लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अग्रता गुप्ता पुत्री पारस गुप्ता है। जो उसके जन्म प्रमाण पत्र एवं विद्यालय प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश उसके आधार कार्ड सं0-9920 5698 7796 में उसका नाम आशी गुप्ता अंकित हो गया है, जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अग्रता

गुप्ता पुत्री पारस गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

पारस गुप्ता पुत्र विष्णु गुप्ता,
निवासी— हाउस नं0-36 संघर्ष नगर,
नई बस्ती बर्रा, कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आर्यन शेखर पुत्र विनय प्रकाश है जो शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-9381 8351 5218 में उसका नाम दीपांशु शेखर अंकित हो गया है जो गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को आर्यन शेखर पुत्र विनय प्रकाश के नाम से जाना व पहचाना जाये।

उक्त के सम्बन्ध में मेरे द्वारा समस्त विधिक औपचारिकतायें पूर्ण कि गयी है।

विनय प्रकाश पुत्र मौजी लाल,
निवासी—महेशपुर झूंसी प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अनिकेत चौबे पुत्र मुकेश चौबे है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-5770 3615 1186 में उसका नाम आयुष चौबे पुत्र मुकेश चौबे अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अनिकेत चौबे पुत्र मुकेश चौबे के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

मुकेश चौबे,
पता—एस 19/125, जदीद बाजार, वरुणा पुल,
वाराणसी, वाराणसी, कैन्ट, वाराणसी, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम रोली मौर्या पुत्री उमेश कुमार है जो उनके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-7180 7620 9400 में उसका नाम पौली कुशवाहा अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम रोली मौर्या पुत्री उमेश कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

उमेश कुमार,
ग्राम व पोस्ट—खुखुंदू,
तहसील—सलेमपुर जनपद—देवरिया।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम निवेदिता दीक्षित पुत्री अनिल दीक्षित है, जो कि सभी शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। मेरे आधार कार्ड सं0-8756 9673 1165 में मेरा घरेलू नाम आर्या दीक्षित अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम निवेदिता दीक्षित पुत्री अनिल दीक्षित के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

निवेदिता दीक्षित पुत्री अनिल दीक्षित,
मं0नं0 330 पीताम्बर नगर भाग-02,
जिला उन्नाव।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी माता का सही नाम भिखनी (Bhikhani) पत्नी राम किशोर है जो उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खातों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी माता का नाम मेरी सेवा

सम्बन्धित अभिलेखों में गीता देवी (Geeta Devi) अंकित हो गया है, जो उनका घरेलू नाम है।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अरविन्द कुमार सिंह, पुत्र राम किशोर,
निवासी— लच्छीरामपुर
पो0 सरकी, फतेहपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शौर्य दूबे पुत्र आदेश कुमार दूबे है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0—3487 7484 6604 में मेरा नाम प्रतुश दूबे अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शौर्य दूबे पुत्र आदेश कुमार दूबे के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

शौर्य दूबे, पुत्र आदेश कुमार दूबे,
निवासी प्लाट ई—78, विलेज मडौली,
सेंट जान्स कालोनी, थाना मण्डुआडीह,
भुल्लनपुर, वाराणसी, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सौम्य दूबे पुत्र आदेश कुमार दूबे है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0—7889 8367 8428 में मेरा नाम पारितोष दूबे अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सौम्य दूबे पुत्र आदेश कुमार दूबे के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सौम्य दूबे, पुत्र आदेश कुमार दूबे,
निवासी—प्लाट ई—78, विलेज मडौली,
सेंट जान्स कालोनी, थाना मण्डुआडीह,
भुल्लनपुर, वाराणसी, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम मानवी पुत्री सुरजीत है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0—3592 7705 4469 में उसका नाम अन्सुमन प्रजापति अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम मानवी पुत्री सुरजीत के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सरिता प्रजापति पत्नी सुरजीत,
निवासी—ग्राम गढ़ी बाजार
पो0 अन्धावा,
पश्चिम शरीरा,
कौशाम्बी, उ0प्र0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आराध्या वर्मा (AARADHYA VERMA) पुत्री अशोक कुमार (ASHOK KUMAR) है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख व जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्री के आधार कार्ड सं. 3118 7028 4894 में उसका नाम महक अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आराध्या वर्मा (AARADHYA VERMA) पुत्री अशोक कुमार (ASHOK KUMAR) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अशोक कुमार पुत्र राम अवध,
काजी पट्टी, गौरीगंज,
अमेठी, उ0प्र0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम कृष्णा पटेल (Krishna Patel) पुत्र राधेश्याम है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड नंबर 2505 0275 0816 में उसका नाम तुका राम (Tuka Ram) अंकित हो गया है जो की गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम कृष्णा पटेल (Krishna Patel) पुत्र राधेश्याम के नाम से जाना पहचाना जाए

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है

सतन देवी, पत्नी राधेश्याम,
निवासी— ग्राम बिछलाहला साहुमई,
पोस्ट रधौली,
कुंडा जनपद प्रतापगढ़।

NOTICE

THIS is to inform the general public that My correct name is Ananya Yadav, daughter of Chhote Lal Yadav, as recorded in my educational documents. Due to an error, my name incorrectly listed as Divyanshi Yadav on my Aadhaar Card Number (6853 0829 6628). This is incorrect. In the future I should be known and identified by my correct name Ananya Yadav daughter of Chhote Lal Yadav.

It is hereby certified that all legal formalities regarding the above have been completed by me.

Ananya Yadav,
D/o. Chhote Lal Yadav,
Village Khanapur, Post Durgapur,
Tehsil Amethi, Police station,
Piper-pur, District Amethi, U.P.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम आंसू (ANSU) पुत्र रघुवंशी है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 5779 4325 2968 में मेरा नाम आशु (ASHU) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम आंसू (ANSU) पुत्र रघुवंशी के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

आंसू (ANSU) पुत्र रघुवंशी,
निवासी— ग्राम सम्मोपुर,
पोस्ट ईरनी,
ठेकमा,
जिला आजमगढ़, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम देवांश सिंह पुत्र अखिलेश कुमार सिंह है। जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या— 2966 3591 8199 में उसका नाम कान्हा सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम देवांश सिंह पुत्र अखिलेश कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अखिलेश कुमार सिंह,
पुत्र अनिल कुमार सिंह,
निवासी— ग्राम देवरिया पोस्ट मुजार थाना,
व तहसील मछलीशहर,
जनपद जौनपुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आर्याश सिंह (ARYANSH SINGH) पुत्र जनार्दन सिंह है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०—9571 0605 6773 में उसका नाम अंश सिंह (ANSH SINGH) अंकित हो गया है, जो कि उसका घरेलू नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आर्याश सिंह (ARYANSH SINGH) पुत्र जनार्दन सिंह के नाम से जाना पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है, कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है।

जनार्दन सिंह
पता— H.N.O.-D-143/7
इंदिरा नगर कालोनी,
(सेक्टर—7) डी. ब्लॉक, लखनऊ, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम छवि पटेल CHHAVI PATEL पुत्री अनिल कुमार है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं० 8258 3753 0253 में उसका नाम दुर्गा शक्ति पटेल अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम छवि पटेल CHHAVI PATEL पुत्री अनिल कुमार के नाम से जानी व पहचानी जाए।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है उपर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अनिल कुमार,
पता— चकिया मौली कुण्डा,
प्रतापगढ़।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शैलेन्द्र कुमार (SHAIENDRA KUMAR) पुत्र रामशंकर है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या—8928 7276 3508 में मेरा नाम मथुरा अंकित हो गया है, जो गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शैलेन्द्र कुमार (SHAIENDRA KUMAR) पुत्र रामशंकर के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

शैलेन्द्र कुमार,
ग्राम रामपुर,
बारह कोनी,
संत कबीरगंज, उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पत्नी का सही नाम विनीता शिवहरे (VINITA SHIVHARE D/O PRABHU DAYAL SHIVHARE W/O SUNIL KUMAR) है जो कि उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट तथा शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे सेवा से सम्बन्धित अभिलेखों में मेरी पत्नी का नाम कहीं पर SMT. VINITA SHIVHARE, SMT. VINITA, VINEETA SHIVHARE, SMT. VINEETA SHIVHARE अंकित हो गया है जो कि गलत है।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सुनील कुमार पुत्र सी0एल0 शिवहरे,
333/526 विजयपुर की कोठी,
मुठ्ठीगंज, प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आद्या (AADYA) पुत्री अदीब अहमद है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं० 2654 9839 8702 में उसका नाम अदित्री अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आद्या पुत्री अदीब अहमद के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें पूर्ण की गई है।

अदीब अहमद पुत्र फैयाद अहमद,
निवासी— बंधी कलां बंदी कला, मऊ, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम इशिका शुक्ला पुत्री पूर्णेश्वर शुक्ला है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या 2070 1177 4021 में उसका नाम ईशु शुक्ला अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य मेरी पुत्री को उसके सही नाम इशिका शुक्ला पुत्री पूर्णेश्वर शुक्ला के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

पूर्णेश्वर शुक्ला पुत्र जटाशंकर शुक्ला,
निवासी— मदरा मुकुन्दपुर मेजा,
प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम शांतनु प्रजापति (SHANTANU PRAJAPATI) पुत्र मिथुन प्रजापति है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 4343 8922 3966 में उसका नाम संतूरू प्रजापति (SANTRU PARJAPATI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम शांतनु प्रजापति (SHANTANU PRAJAPATI) पुत्र मिथुन प्रजापति के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

मिथुन प्रजापति पुत्र मोहन लाल,
निवासी—264/4ए शंकर घाट तेलियरगंज,
जोधवल कावेल्लारी लाईन्स
प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम मान्ची केशरवानी (Manvi Kesharwani) पुत्री सुरेश केशरवानी (Suresh Kesharwani) है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या—4067 0641 8601 में उसका नाम अंतरा केशरवानी (Antara Kesharwani) पुत्री सुरेश केशरवानी (Suresh Kesharwani) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम मान्ची केशरवानी (Manvi Kesharwani) पुत्री (Suresh Kesharwani) के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सुरेश केशरवानी,
पता—चकरेही चौराहा, शंकर बाजार,
कर्वी, (चित्रकूट), उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम विपिन बिहारी (Bipin Bihari) पुत्र पीताम्बर लाल है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं-8892 2669 2562 में मेरा नाम विपिन बिहारी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम बिपिन बिहारी (Bipin Bihari) पुत्र पीताम्बर लाल है के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकाये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

बिपिन बिहारी पुत्र पीताम्बर लाल,
निवासी- 41 बजहा छिवैया वार्ड न.2,
प्रयागराज उ०प्र०।

NOTICE

This is to inform the general public that my real name is Ram Prakash, son of late Sundar Lal- Which is mentioned in my educational records. However, my name in my Aadhar Card No- 9496 9432 5977 is listed as Rakesh alias Ramprakash, which is a mistake. In future I would like to be known by my real name Ram Prakash son of late Sundar Lal It is certified by me that all the legal formalities in respect of the above have been completed by me personally.

Ram Prakash son of Late Sundar Lal,
Resident- Shivpur Road Post-Mau,
Tehsil- Mau District Chitrakoot, U.P.

सूचना

सर्व साधारण को सूचित हो कि मैं पंकज कुमार अवस्थी पुत्र सुरेश चन्द्र अवस्थी निवासी सी-2951, राजाजीपुरम, लखनऊ (उ०प्र०) में दीवा अवस्थी (Diva Awasthi) का पिता एवं संरक्षक हूं मेरी पुत्री का नाम आधार कार्ड सं०-6432 1245 6580 में मान्या अवस्थी

(Manya Awasthi) अंकित हो गया है, जो कि घरेलू नाम है। पुत्री का सही एवं वास्तविक नाम दीवा अवस्थी (Diva Awasthi) है जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है मेरी पुत्री को भविष्य में उसके सही नाम दीवा अवस्थी (Diva Awasthi) पुत्री पंकज कुमार अवस्थी के नाम से जाना व पहचाना जाय।

पंकज कुमार अवस्थी।

NOTICE

The correct name of the deponent's daughter is Aradhya Dubey, daughter of Rahul Kumar Dubey, as mentioned in her educational records and birth certificate. The name Lado Kumari has been mistakenly listed on the Aadhaar card number 7283 6563 1535, which is incorrect. In the future, my daughter should be known and identified by her correct name, Aradhya Dubey daughter of Rahul Kumar Dubey.

Rahul Kumar Dubey,
Resident of Baraunda Kachar,
Laxmanpuram Colony, Mirzapur.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कृतिका पाठक (KRITIKA PATHAK) पुत्री दिनेश कुमार पाठक है, जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-6341 3359 6341 में मेरा नाम कृतिका पाठक (KRITKA PATHAK) अंकित हो गया है। जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कृतिका पाठक (KRITIKA PATHAK) पुत्री दिनेश कुमार पाठक के नाम से जाना एवं पहचाना जाए।

कृतिका पाठक पुत्री दिनेश कुमार पाठक,
निवासी-चिम्चा, शिवपुर गोरखपुर,
उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम विजय माला पुत्री राजेन्द्र प्रसाद है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं० 3200 6763 2538 में उसका नाम समीक्षा चौधरी पुत्री राजेन्द्र प्रसाद अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम विजय माला पुत्री राजेन्द्र प्रसाद के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं। दिनांक

राजेन्द्र प्रसाद पुत्र राम आसरे
निवासी ग्राम सोनोरी पोस्ट छतहरा,
तहसील बारा, जिला प्रयागराज, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम वैष्णवी पुत्री स्वर्गीय अनुप है जो उसके शैक्षणिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या 7048 1255 4834 में उसका नाम अन्नू अंकित हो गया जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम वैष्णवी पुत्री स्वर्गीय अनुप के नाम से जानी व पहचानी जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अनीता पत्नी स्वर्गीय अनूप,
निवासी ग्रा० पो०— सरेनी थाना सरेनी,
तहसील लालगंज जनपद—रायबरेली।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम पुष्पा देवी पत्नी अमर नाथ उपाध्याय है, जो मेरे निर्वाचन कार्ड, बैंक पासबुक, परिवार रजिस्टर तथा उप जिलाधिकारी जॉच आख्या में अंकित हैं, त्रुटिवश मेरे

आधार कार्ड संख्या- 4491 7218 5163 में मेरा नाम देवी अंकित हो गया है, जो कि गलत नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम पुष्पा देवी पत्नी अमर नाथ उपाध्याय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

पुष्पा देवी पत्नी अमर नाथ उपाध्याय
पता—पटेहरा, पोस्ट—पखवैयाए थाना, चिल्ह,
तहसील—सदर, जनपद—मिर्जापुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम स्वास्तिक सोनकर पुत्र स्व० धर्मेन्द्र कुमार सोनकर है, जो उसके शैक्षणिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 7714 8276 9975 में उसका नाम रुद्र सोनकर अंकित हो गया है, जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम स्वास्तिक सोनकर पुत्र स्व० धर्मेन्द्र कुमार सोनकर के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सुमन सोनकर
पत्नी स्व० धर्मेन्द्र कुमार सोनकर,
निवासिनी— डी.59/54, महमूरगंज, शिवपुरवां,
वाराणसी, छित्तपुर, महमूरगंज, वाराणसी, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम दिव्यांशु दुबे (Divyanshu Dubey) पुत्र चन्द्र प्रकाश दुबे है जो कि उसके शैक्षिक प्रमाण पत्र में भी अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 9765 4254 7495 में उसका नाम (Gaurav Dube) अंकित हो गया है जो कि गलत है भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम दिव्यांशु दुबे (Divyanshu Dubey) पुत्र चन्द्र प्रकाश दुबे के नाम से जाना व पहचाना जावे।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

चन्द्र प्रकाश दुबे पुत्र उमा शंकर दूबे,
निवासी— 201 सुखऊपुरवा, थाना नवाबगंज,
ख्यौरा कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम शैलजा (SHAILAJA) पुत्री राजेन्द्र कुमार है जो उसके शैक्षिक अभिलेख एवं जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या—4421 0769 2396 में साक्षी द्विवेदी नाम अंकित हो गया है, जो गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम शैलजा (SHAILAJA) पुत्री राजेन्द्र कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

राजेन्द्र कुमार पुत्र हरिशंकर,
पता—बदली का पूरा, सुल्तानपुर अकबर,
कस्तूरीपुर, इलाहाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम देवांशी सिंह पुत्री आशुतोष सिंह है, जो उसके शैक्षणिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0—9367 6344 3023 में उसका नाम सिया सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम देवांशी सिंह पुत्री आशुतोष सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

आशुतोष सिंह, पुत्र श्री राम सिंह,
निवासी—ग्राम सरायनाहर राय, पोस्ट सरायनाहर,
राय थाना जेठवारा तहसील सदर,
जनपद प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम भावना श्रीवास्तव (BHAWNA SRIVASTAVA) पुत्री स्व0 सुरेश कुमार श्रीवास्तव है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 9402 7280 5325 में मेरा नाम भावना श्रीवास्तव (BHAWANA SRIVASTAVA) अंकित हो गया है, जो कि गलत है, भविष्य में मुझे मेरे सही नाम भावना श्रीवास्तव (BHAWNA SRIVASTAVA) पुत्री स्व0 सुरेश कुमार श्रीवास्तव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

BHAWNA SRIVASTAVA,
D/o LATE SURESH KUMAR SRIVASTAVA,
ADD.1085/204C, 60Fit Road, Rajrooppur,
Gayasuddinpur Uparhar Dhoomangaj,
Prayagraj, U.P.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सन्नो देवी पुत्री फुलेल है जो कि शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 3955 3228 4072 में मेरा नाम स्वेता देवी (Shweta Devi) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सन्नो देवी पुत्री फुलेल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

सन्नो देवी,
निवासी— 951 बजरंग नगर शुक्लहा,
मिर्जापुर, उ0प्र0।

सूचना

मैं नीरू श्रीवास्तव पत्नी संजीव कुमार निवासी
मं0 नं0 LB0689, लखपेडाबाग, नवाबगंज बाराबंकी सूचित

करती हूँ कि मेरे सभी अभिलेखों में मेरा नाम नीरू श्रीवास्तव दर्ज है, लेकिन मेरे पुत्र उन्नत श्रीवास्तव के केन्द्रीय विद्यालय बाराबंकी उ0प्र0 के अभिलेखों में मेरा नाम नीरू श्रीवास्तव त्रुटिवश गलत दर्ज हो गया है। मेरा सही नाम नीरू श्रीवास्तव (आधार नं0 2742 2859 9843) है। मुझे नीरू श्रीवास्तव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

नीरू श्रीवास्तव पत्नी संजीव कुमार,
निवासी मं0 नं0 LB0689, लखपेडाबाग,
नवाबगंज बाराबंकी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मेसर्स फारुक हैंडलिंग एण्ड ट्रांसपोर्ट एजेन्सी, 135, न्यू शान्ति नगर, रेलवे रोड, मेरठ शहर, मेरठ— 250002 की संशोधित साझीदारीनामा दिनांक 09 जनवरी, 2021 के अनुसार श्री फारुक अहमद, श्री ताहिर इस्लाम एवं श्रीमती आयशा बानो साझीदार थे। संशोधित साझीदारीनामा दिनांक 01 फरवरी, 2026 के अनुसार श्री तनवीर इस्लाम खान फर्म की साझीदारी में सम्मिलित हुए तथा दिनांक 01 फरवरी, 2026 को श्री फारुख अहमद जी का स्वर्गवास होने के कारण उनकी साझीदारी समाप्त हो गई है। वर्तमान में श्री ताहिर इस्लाम, श्रीमती आयशा एवं श्री तनवीर इस्लाम खान साझीदार है।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

ताहिर इस्लाम,
साझीदार,
मेसर्स फारुक हैंडलिंग एण्ड ट्रांसपोर्ट एजेन्सी,
135 न्यू शान्ति नगर, रेलवे रोड,
मेरठ शहर, मेरठ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स फैंज इण्डेन ग्राम बहेड़ी ब्रह्मनान, तह० ठाकुरद्वारा, जिला— मुरादाबाद (उ०प्र०) जिसका पंजीकरण

संख्या—MOR/0015323 में पंजीकरण के समय दो साझीदार श्री यूसुफ अली पुत्र श्री आशिक हुसैन एवं श्रीमती फूल जहाँ पत्नी श्री यूसुफ अली थे। अब दोनों साझीदार उक्त व्यापार को साझीदारी में चलाना नहीं चाहते हैं, जिस कारण दोनों साझीदारों ने आपसी सहमती से दिनांक 24 फरवरी, 2026 को उक्त फर्म डिजोल्ड कर दी है, तथा फर्म पर कोई देनदारी लेनदारी बकाया नहीं है।

यूसुफ अली,
साझीदार,
मेसर्स फैंज इण्डेन,
ग्राम बहेड़ी ब्रह्मनान, तह० ठाकुरद्वारा,
जिला— मुरादाबाद (उ०प्र०)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s Deep Gas Agency, 122/619, Shastri Nagar, Kanpur Nagar का साझीदार हूँ। फर्म की भागीदारी डीड दिनांक 01 जून, 2022 के अनुसार फर्म में श्री प्रणवीर सिंह व श्री देवपुष्प यादव साझीदार थे। भागीदारी डीड दिनांक 29 नवम्बर, 2025 के अनुसार श्री जयदेव यादव को दिनांक 28 नवम्बर, 2025 से भागीदारी में शामिल किया गया है तथा फर्म के साझीदार श्री प्रणवीर सिंह स्वेच्छा से पृथक हो गये हैं। वर्तमान में श्री देवपुष्प यादव व श्री जयदेव सिंह साझीदार है।

देवपुष्प यादव,
पार्टनर।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पंजीकृत फर्म मेसर्स उपाध्याय आटोमोबाइल्स का पूर्व पता जिला प्रतापगढ़ था जिसमें परिवर्तन करके नगर पट्टी (एन एच—731) जिला प्रतापगढ़ कर दिया गया है तथा श्रीमती सुचेता उपाध्याय दिनांक 06 मार्च, 2026 को उक्त फर्म में बतौर भागीदार शामिल हुयी हैं। वर्तमान में फर्म में भागीदारों की कुल संख्या अब तीन हो गई है। अब फर्म

में भागीदारों की भागीदारी का अनुपात क्रमशः श्री विजय कुमार उपाध्याय का 33 प्रतिशत, श्रीमती बबिता उपाध्याय का 34 प्रतिशत तथा श्रीमती सुचेता उपाध्याय का 33 प्रतिशत होगा ।

विजय कुमार उपाध्याय
भागीदार

मेसर्स उपाध्याय आटोमोबाइल्स,
पूर्व पंजीकृत पता—जिला प्रतापगढ़,
वर्तमान पंजीकृत पता— नगर पट्टी,
(एन एच-731) जिला प्रतापगढ़ ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/S S.G.S. ENTERPRISES, Azad Nagar, Mohammdabad, Farrukhabad, U.P. 209651 की साझीदार हूँ। फर्म का पंजीयन दिनांक 25 जून, 2021 को पंजीकरण सं० FAR/0009375 पर हुआ था। फर्म की भागीदारी डीड दिनांक 01 जून, 2021 के अनुसार फर्म में श्री गिरजा शंकर गोयल व अनीता गोयल साझीदार थे। संशोधित भागीदारी डीड दिनांक 01 जनवरी, 2026 के अनुसार फर्म की भागीदारी में श्रीमती ऋचा गुप्ता उम्र लगभग 40 वर्ष पुत्री श्री गिरजा शंकर गोयल पत्नी श्री विशाल गुप्ता निवासिनी आजाद नगर, मोहम्मदाबाद, फर्रुखाबाद को साझीदारी में शामिल किया गया है तथा दिनांक 01 जनवरी, 2026 से साझीदार गिरजा शंकर गोयल स्वेच्छा से पृथक हो गये हैं। अब फर्म में श्रीमती अनीता गोयल एवं श्रीमती ऋचा गुप्ता साझीदार हैं।

अनीता गोयल,
पार्टनर,
M/S S.G.S. ENTERPRISES,
Azad Nagar, Mohammdabad,
Farrukhabad, U.P.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है M/s SUPREME SERVICES STATION, Kedar Estate, Garh Road, Near New Mandi, Hapur-245101 की

साझीदारी में श्रीमती ऊषा केदार, श्री विनय केदार एवं श्री अमित केदार साझीदार थे। दिनांक 04 फरवरी, 2026 की विघटित साझीदारीनामा के अनुसार सभी साझीदारों श्रीमती ऊषा केदार, श्री विनय केदार एवं श्री अमित केदार की आपसी सहमति से फर्म की साझीदारी को विघटित कर दिया गया है। फर्म पर किसी भी वित्तीय संस्थान/बैंक/व्यक्ति का ऋण देयता नहीं है। दिनांक 04 फरवरी, 2026 से पूर्व की किसी प्रकार की कोई भी देनदारी मिलती है तो हम साझीदारों की संयुक्त जिम्मेदारी होगी।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

ऊषा केदार,
साझीदार,
M/s SUPREME SERVICES STATION,
Kedar Estate, Garh Road,
Near New Mandi, Hapur U.P.

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मे0 श्यामबरन सिंह कन्स्ट्रक्शन, राजीव गॉंधी नगर, आगरा बाईपास रोड, मैनपुरी में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है—

यह है उक्त फर्म में दिनांक 08 मार्च, 2026 को श्रीमती कृष्णा कुमारी पुत्री श्री बाबूराम निवासी— बैंक कॉलोनी स्टेशन रोड, मैनपुरी को उक्त फर्म में नये भागीदार के रूप में सम्मिलित कर लिया गया है, तथा उक्त दिनांक को श्रीमती रेशमा देवी पत्नी श्री कलेक्टर सिंह निवासी— राजीव गॉंधी नगर, आगरा बाईपास रोड, मैनपुरी उक्त फर्म से अपनी स्वेच्छा से अलग हो गयी है। अब फर्म में श्री श्याम बरन यादव तथा श्रीमती कृष्णा कुमारी भागीदार हो गये हैं।

श्याम बरन यादव,
भागीदार,
मे0 श्यामबरन सिंह कन्स्ट्रक्शन,
राजीव गॉंधी नगर, आगरा बाईपास रोड,
मैनपुरी।

सूचना

उत्तर प्रदेश।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम चन्द्रमौलि शुक्ल (Chandramauli Shukla) पुत्र प्रसिद्ध नारायण शुक्ल (Prasiddh Narayan Shukla) है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 8968 7452 3087 में मेरा नाम चंद्रमौली शुक्ला (Chandra Moli Shukla) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

चन्द्रमौलि शुक्ल

पुत्र प्रसिद्ध नारायण शुक्ल

पता—मकान नं0 62, महालक्ष्मी गार्डन

फेज—1, खोड़ा कालोनी, गाजियाबाद